

मुकदमों का विवरण

डॉ. बलराम सिंह बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(लिखित याचिका (सिविल) सं.324 2020 का) 20 अक्टूबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और हाथ से मैला ढोने वालों का रोजगार और सूखे शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का कार्यान्वयन।

हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, **2013**-हाथ से मैला ढोने वालों का रोजगार और सूखे शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, **1993**-उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश-चरणबद्ध तरीके से हाथ से मैला ढोने का उन्मूलन-पुनर्वास उपाय-सीवर से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा आदि।:

आयोजित किया गया: संघ को सभी वैधानिक निकायों को उचित उपाय करने चाहिए और नीतियां बनाने चाहिए और निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाथ से किए गए सीवर की सफाई चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से समाप्त हो जाए, और दिशा-निर्देश और निर्देश भी जारी किए जाएं कि ठेकेदारों या एजेंसियों द्वारा या उनके माध्यम से किए जाने वाले किसी भी सीवर सफाई कार्य के लिए व्यक्तियों को किसी भी उद्देश्य के लिए सीवर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है-राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विभाग, एजेंसियां, निगम यह सुनिश्चित करें कि केंद्र द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश और निर्देश अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और निर्देशों में सन्निहित हैं-राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे निर्देश सभी नगर पालिकाओं और अपने क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले स्थानीय निकायों पर लागू हों-केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि पूर्ण पुनर्वास (रिश्तेदारों को रोजगार, बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपायों सहित) सुनिश्चित किया जाए।

1083

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

जवाबदेही सुनिश्चित करना, विशेष रूप से जहां भी अनुबंध या आउटसोर्स किए गए काम के दौरान सीवर से होने वाली मौतें होती हैं-एक मॉडल अनुबंध तैयार किया जाना है, जिसका उपयोग जहां भी अनुबंध दिए जाने हैं और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, एजेंसी अपना अनुबंध खो देगी, संभवतः

काली सूची में-राष्ट्रीय सर्वेक्षण के संचालन के लिए तौर-तरीके तैयार किए जाएंगे-एन. ए. एल. एस. ए. परामर्श का हिस्सा होगा, जैसा कि निर्देश दिया गया है-केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी आयोगों जैसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एन. सी. एस. के.), राज्य सफाई कर्मचारी आयोग (एन. सी. एस. सी.) के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से राज्य स्तर, जिला स्तर की समितियों और आयोगों की स्थापना के लिए-एन. सी. एस. के., एन. सी. एस. सी., एन. सी. एस. सी., एन.सी., एन.[पैरा 96]

मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, **2013** -एस. **11**-संघ की याचिका की व्याख्या। **11** स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है न कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण की:

आयोजित किया गया: 2013 अधिनियम एक नियमित कानून नहीं है, यह चरित्र में मुक्तिदायी है और उत्थान की संवैधानिक संहिता की अभिव्यक्ति है-2013 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हाथ से सफाई करने वालों का पुनर्वास किया जाए-पुनर्वास पहचान के बाद एक कदम है-सर्वेक्षण के बिना, पुनर्वास व्यावहारिक नहीं है-वैधानिक योजना को एक ऐसी व्याख्या के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है जो 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन को केवल स्थानीय निकायों पर छोड़ देगा, बिना सरकारों, राज्य और केंद्र के किसी मार्गदर्शन के-केंद्र और राज्य सरकारें उन मापदंडों को निर्धारित करने के लिए कर्तव्यबद्ध थीं और हैं जिनके तहत एक स्थानीय निकाय को सर्वेक्षण करने के लिए अनिवार्य किया गया था-जबकि सर्वेक्षण 1085 की कार्यप्रणाली

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ।

2013 के नियमों के तहत, सर्वेक्षण के संचालन के लिए ट्रिगर 2013 के नियमों के साथ-साथ 2013 के अधिनियम दोनों से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है-एक ट्रिगर की अनुपस्थिति 2013 के अधिनियम और इसकी संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को गैर-कार्यान्वयन से प्रेरित नहीं कर सकती है-स्थानीय निकायों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देश निर्धारित करके निर्देशित किया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण कब किया जाना चाहिए, और किन स्थानीय निकायों को सर्वेक्षण करना चाहिए-इस तरह की नीति के बिना, एक स्थानीय निकाय से 2013 के अधिनियम को उचित तरीके से लागू करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है-जबकि स्थानीय सरकारों को सर्वेक्षण करना चाहिए, यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उपयुक्त अधिकारियों के लिए था कि वे सर्वेक्षण के लिए मापदंड निर्धारित करें-मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास। [पैरा 53, 54 और 56]

मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, **2013** -धारा **11**-हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास नियम, **2013** -आर. **11**-पिछले सर्वेक्षणों की अपर्याप्त योग्यता:

आयोजित किया गया: न तो 2013 और न ही 2018 के सर्वेक्षण 2013 के नियमों और 2013 के अधिनियम की योजना के तहत निर्धारित किए जा सकते थे क्योंकि सर्वेक्षण करने के लिए कर्तव्यों

को सौंपे गए संस्थान या तो गठित नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे-जहां अधिनियम और नियम सर्वेक्षण की एक विशेष विधि और तरीका निर्धारित करते हैं, तो उस विधि और तरीके का केवल पालन किया जाना चाहिए था और किसी अन्य विधि या तरीके का पालन नहीं किया जा सकता था-कोई अनंतिम सूची यू/एस।11(4) तैयार किया गया था; कोई आपत्ति नहीं मांगी गई थी और यू/एस पर निर्णय लिया गया था।11(5) और कोई अंतिम सूची यू/एस प्रकाशित नहीं की गई थी।11(6) – निम्नलिखित के अभाव में, यह तर्क कि एक वैध सर्वेक्षण किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है-साथ ही, सफाई कर्मचारी आंदोलन मामले में इस न्यायालय ने 2013 के सर्वेक्षण की कमियों को देखा था-इसलिए, जब इस न्यायालय ने पहले ही पाया था कि सर्वेक्षण असंवेदनशील था, तो संघ संभवतः एक बार फिर उसी सर्वेक्षण पर भरोसा नहीं कर सकता है।[पारस 57,60,66]

हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, **2013**-कार्यान्वयन में कमी-अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न संस्थानों का गठन न करना:

1086

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

आयोजित किया गया:2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन में एक बड़ी कमी यह है कि राज्य और केंद्र सरकारों ने अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक विभिन्न संस्थानों का गठन भी नहीं किया है-कानून का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, केंद्रीय निगरानी समिति, राज्य निगरानी समिति, सतर्कता समितियों, राज्य/जिला स्तर की सर्वेक्षण समिति जैसे संस्थानों के प्रभावी कामकाज पर निर्भर करता है-दुर्भाग्य से, इन संस्थानों का गठन राज्यों और केंद्र द्वारा नहीं किया गया है और जहां उनका गठन किया गया है, संस्थान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं-अधिनियम ने कानूनों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों का निर्माण किया है-हालांकि, कार्यान्वयन पर रोक लगाने के बजाय, संस्थानों की कमी प्रभावी रही है।[पारस 67,68]

मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, **2013**-मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सफाई, जिसे **2013** के अधिनियम के तहत अलग से माना जाता है-याचिका है कि यह अनुच्छेद **14** का उल्लंघन करता है क्योंकि दोनों के बीच कोई तर्कसंगत अंतर नहीं है:

आयोजित किया गया:इस अदालत को कानून के लिए चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है-प्रावधानों को चुनौती दिए बिना, भेदभाव को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14।[पैरा 82]

हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, **2013**-हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास नियम,

2013।3, 5 - 'सफाई उपकरणों' और 'सुरक्षात्मक उपकरणों' के माध्यम से खतरनाक सफाई का मशीनीकरण-अपवाद-चर्चा की गई।

भारत का संविधान-अनुच्छेद **23**-अनुच्छेद **23** के तहत खतरनाक सफाई की स्थिति-हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, **2013:**

आयोजित किया गया:अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और इसे कानून के अनुसार दंडनीय बनाता है-अनुच्छेद 23 में 'जबरन श्रम के अन्य रूप' की अभिव्यक्ति सभी प्रकार के श्रम पर प्रहार करती है जो मानव गरिमा को समाप्त करती है-इसमें न केवल पारिश्रमिक शामिल होगा बल्कि सभी श्रम भी शामिल होंगे जहां सुरक्षित रोजगार के पूर्ण न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं किया जाता है-1087

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ।

जहाँ खतरनाक श्रमिकों को न्यूनतम सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, वहाँ खतरनाक श्रमिकों का रोजगार जबरन श्रम के बराबर है और इस प्रकार संविधान के तहत निषिद्ध है-सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरणों के प्रावधान केवल वैधानिक अधिकार या नियम नहीं हैं, बल्कि अधिकार हैं और इन अधिकारों के कारण ही 2013 के अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुरूप हैं-सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरणों के बिना खतरनाक क्लीनर के रोजगार के लिए एक अनुबंध अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करेगा, भले ही वह स्वैच्छिक हो क्योंकि ऐसा समझौता मानव गरिमा का उल्लंघन करेगा।[पारस 88,90,91]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

(2014) 11 एससीसी 224:[2014] 4 एस. सी. आर. 197; सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम संघ भारत का [2014] 4 एस. सी. आर. 197; पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ [1983] 1 एस. सी. आर. 456; संजीत राय बनाम राजस्थान राज्य [1983] 2 एस. सी. आर. 271; बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा [1978] 3 एस. सी. आर. 207; एक्स. बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सरकार। एन. सी. टी. दिल्ली 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1321; स्वराज अभियान बनाम भारत संघ (2016)

7 एससीसी 498; यू. पी. राज्य बनामसिंधारा सिंह [1964] 4 एस. सी. आर. 485-संदर्भित।

विमला गोविंद चोरोटिया और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 3002; अखिल भारतीय व्यापार संघ परिषद बनाम संघ

भारत 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 2420-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 324।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

रूप:

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

भारत की ओर से अटॉर्नी जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., के. परमेश्वर (न्याय मित्र), गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, हिमांशु चक्रवर्ती, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, सुश्री आस्था शर्मा, अमरीश कुमार,

1088

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

श्रीमती रुचि कोहली, श्रीमती श्रद्धा देशमुख, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, पूर्णेन्दु बाजपेयी, श्रीमती अमियाविक्रमा थानवी, डॉ. एन. विशाखामूर्ति, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, एम. वी. मुकुंद, चिनमय कलगांवकर, सुश्री अनिदिता पुजारी, संजय जैन, डॉ. मोनिका गुप्तेन, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एस. रवींद्र भाट, जे.

1.....हमारे इतिहास के अविस्मरणीय इतिहास ने न केवल विदेशी शाही शासक से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों के कई बलिदानों को सूचीबद्ध किया है, बल्कि एक कम ज्ञात स्वतंत्रता भी है जो सहस्राब्दियों से लोगों के एक बड़े समूह से वंचित थी, जो लगभग अदृश्य थे। वे एक ऐसे एकांत में फँसे हुए थे जहाँ से कोई मुक्ति नहीं थी। यह सदियों पुरानी सामाजिक प्रथाओं को कलंकित करने वाली प्रथा थी, जिसके कारण उनका अपमान हुआ, इस स्तर तक कि उन्हें मनुष्य के रूप में भी मान्यता नहीं दी गई। इन प्रथाओं में से एक यह थी कि लोगों की कौन सी पीढ़ियों को हाथ से मैला साफ करने का सबसे छोटा काम करने के लिए बनाया गया था। इस तरह की सामाजिक प्रथा को संबोधित करने के लिए और उसमें फँसे लोगों को पूरी तरह से प्रकाश से बाहर करने और गुलामी से मुक्त करने के संकल्प के साथ, संविधान निर्माताओं ने तीन महत्वपूर्ण प्रावधान सुनिश्चित किए, जो हमें बत्ती की तरह देखते हैं, न केवल समानता बल्कि सभी लोगों के बीच भाईचारे का आश्वासन देते

हैं:अस्पृश्यता का निषेध; जबरन या अनैच्छिक श्रम को गैरकानूनी घोषित करना और शोषण के खिलाफ स्वतंत्रता।

2. इन प्रावधानों के उद्देश्यों को आकार देने के लिए, संसद ने हस्तक्षेप किया और कई कानून बनाए। पहला नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 था; अस्पृश्यता की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने के लिए 1976 में इसके प्रावधानों में संशोधन किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 द्वारा इन गंभीर रूपों को कड़ी सजा के साथ दंडित करने की मांग की गई थी, जिसे बाद के संशोधनों द्वारा और मजबूत किया गया था। इसमें कि पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति सुनिश्चित करना दो अधिनियम थे, "हाथ से मैला ढोने वालों का रोजगार और सूखे शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993" (इसके बाद "अधिनियम 1993") और "हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (इसके बाद "अधिनियम 2013")।

1089

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1090 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

3. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें उत्तरदाताओं (भारत संघ और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों) को 1993 के अधिनियम और 2013 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

4. वर्ष 1993 में, सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट सी कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अधिनियम, 1993 (इसके बाद "एन. सी. एस. के. अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार सफाई कर्मचारियों के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की गई थी। उसी वर्ष, भारत ने कुछ प्रकार के सूखे शौचालयों को दैनिक हाथ से खाली करने के लिए जिम्मेदार हाथ से सफाई करने वालों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके बाद, संसद ने 2013 का अधिनियम लागू किया जिसने अस्वच्छ शौचालयों, गड्डों और गड्डों को शामिल करने के लिए इसके दायरे को बढ़ाया और स्पष्ट किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि उत्तरदाताओं ने इन कानूनों के आवश्यक प्रावधानों को लागू नहीं किया है। अफसोस की बात है कि इन कानूनों के बावजूद हाथ से मैला साफ करना जारी है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि 1993 और 2013 के अधिनियम को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए, हाथ से मैला साफ करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, साथ ही साथ वर्तमान में इन प्रथाओं में लगे लोगों के लिए पर्याप्त पुनर्वास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है।

5. इस न्यायालय ने पहले सफाई में इस विषय को संबोधित किया था

कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1 और उसके बाद

2013 अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

“23. हम पहले ही 2013 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को नोट कर चुके हैं और इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों के आलोक में, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

23.1.2013 के अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत हाथ से मैला ढोने वालों की अंतिम सूची में शामिल व्यक्तियों का 2013 के अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित तरीके से पुनर्वास किया जाएगा, अर्थात्:

((क) ऐसी प्रारंभिक, एकमुश्त नकद सहायता, जो विहित की जाए;

1 (2014) 11 एससीसी 224

(ख) उनके बच्चे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों की प्रासंगिक योजना के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे।

(ग) उन्हें संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार हाथ से मैला ढोने वाले की पात्रता और इच्छा के अधीन, आवास निर्माण के लिए एक आवासीय भूखंड और वित्तीय सहायता, या वित्तीय सहायता के साथ एक तैयार घर आवंटित किया जाएगा;

(घ) उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रता और इच्छा के अधीन आजीविका कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ऐसी अवधि के दौरान उन्हें मासिक वजीफा दिया जाएगा।

(ङ) संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार, उनके परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को पात्रता और इच्छा के अधीन, स्थायी आधार पर वैकल्पिक व्यवसाय करने के लिए सब्सिडी और रियायती ऋण दिया जाएगा।

(च) ऐसी अन्य कानूनी और कार्यक्रमगत सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचित करे। 23.2. यदि हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना है और आने वाली पीढ़ियों को हाथ से सफाई करने की अमानवीय प्रथा से रोकना है, तो हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास में शामिल करने की आवश्यकता होगी:

(क) सीवर से होने वाली मौतें-आपातकालीन स्थितियों में भी बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर लाइनों में प्रवेश करना अपराध बनाया जाना चाहिए। ऐसी प्रत्येक मृत्यु के लिए मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(ख) रेलवे-पटरियों पर हाथ से मैला साफ करने को समाप्त करने के लिए समयबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए।

(ग) हाथ से मैला साफ करने से रिहा किए गए व्यक्तियों को कानून के तहत उनके वैध देय को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पार नहीं करना चाहिए।

(घ) सफाई कर्मचारी महिलाओं को उनकी आजीविका योजनाओं के अनुसार गरिमापूर्ण आजीविका के लिए सहायता प्रदान करना।

23.3.1993 से सीवरेज के काम (मैनहोल, सेप्टिक टैंक) में मरने वाले सभी व्यक्तियों के परिवारों की पहचान करें और **1091** का मुआवजा दें।

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1092 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

इस तरह की प्रत्येक मृत्यु के लिए उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को **10** लाख रुपये दिए जाएंगे।

23.4. पुनर्वास न्याय और परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता कई निर्देशों का दावा करता है जैसे कि:

(क) उत्तरदाताओं को जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991; हाथ से मैला ढोने वालों का रोजगार और सूखे शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993-हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित अन्य कानूनों के नियमों और विनियमों को लागू करने का निर्देश देना।

(ख) स्लम क्षेत्रों सहित सभी गाँवों के कस्बों और शहरों में उपयोग किए गए पानी के निपटान और उपयोग किए गए पानी के उपचार के लिए भूमिगत शपथ/जल निकासी प्रणाली का प्रावधान करना।

(ग) उपयोग किए गए पानी को उपचार के बाद मवेशियों के उपयोग, कृषि और अन्य उद्देश्यों के लिए पुनः प्रयोज्य बनाना, सिवाय मानव पीने के और मानव उपयोग और पशु उपयोग के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग तालाब बनाए जाने चाहिए।

(घ) सभी गाँवों, कस्बों और शहरों में स्वच्छ और बिना दूषित पानी की आपूर्ति के लिए प्रावधान करना और इस उद्देश्य के लिए बड़ी जल शुद्धिकरण योजनाएं स्थापित करना ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता का अच्छा और शुद्ध पेयजल मिल सके।

(ङ) पूरे देश में वर्षा जल संचयन प्रणाली का प्रावधान करना। इसे किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए एक पूर्व-आवश्यकता बनाया जाना चाहिए (च) सभी शौचालयों को सीवेज प्रणाली से जोड़ना।

(छ) देश के सभी गाँवों, कस्बों और शहरों में सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट संयंत्र स्थापित करें।

(ज) सभी खुली नालियों को पास की नालियों में परिवर्तित करें और आगे सभी नालियों को भूमिगत करें।

(i) नालियों और सीवेज लाइनों की सफाई के लिए यांत्रिक सफाई उपायों का प्रावधान करना और मैनुअल को तुरंत रोकना।

(जे) निर्धारित अवधि के भीतर सड़कों की मरम्मत करना।

(के) उन सरकारी अधिकारियों की देयताएं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों का पालन और कार्यान्वयन नहीं करते हैं। प्रावधानों का पालन न करने के हर लापरवाही के लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

(ल) इस याचिका के लंबित रहने के दौरान हाथ से सफाई करने के लिए सीवेज में प्रवेश करते समय या उसमें प्रवेश करने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पचास रुपये (पचास लाख रुपये) का मुआवजा दें।

(एम) उन क्षेत्रों में जनता की मांग पर अच्छा पेयजल प्रदान करें जहां जल आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है और उपलब्ध पानी दूषित है और मानव उपयोग के लिए नहीं है।

(एन) जनता की मांग पर तीन महीने की अवधि के भीतर सभी सड़कों की मरम्मत करना।

6. 22 फरवरी, 2023 को इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ दोनों अधिनियमों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए, जो नीचे दिए गए हैं:

(I) प्रत्यर्थी-संघ इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार उठाए गए कदमों को अभिलेख पर रखेगा, अर्थात् -ए-विज। 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति, अर्थात्, हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, जिसमें 'हाथ से मैला ढोने वालों' की अवज्ञा के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास की दिशा में कदम शामिल हैं।

(II) राज्यवार सूखे शौचालयों के उन्मूलन/विध्वंस की दिशा में उठाए गए कदम।

(III) छावनी बोर्डों और रेलवे में सूखे शौचालयों और सफाई कर्मचारियों की स्थिति।

2 (pg.17-20 लिखित याचिका)

1093

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1094 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

(4. रेलवे और छावनी बोर्डों में सफाई कर्मचारियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी ठेकेदारों के माध्यम से या अन्यथा रोजगार।

(V) नगर निगम की राज्यवार स्थापना और ऐसे निकायों द्वारा मलजल की सफाई को मशीनीकृत करने के लिए तैनात उपकरणों की प्रकृति (साथ ही तकनीकी उपकरणों का विवरण)।

(6. सीवेज से होने वाली मौतों पर वास्तविक समय में नज़र रखने के लिए इंटरनेट आधारित समाधान विकसित करने की व्यवहार्यता और उचित सरकार सहित उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा मुआवजे के भुगतान और परिवारों के पुनर्वास के लिए की गई कार्रवाई।

7. इसके अलावा, इस अदालत ने वर्तमान कार्यवाही में पक्षकारों के रूप में, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (इसके बाद "संघ") के माध्यम से भारत संघ; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (इसके बाद "एन. सी. एस. के."); राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (इसके बाद "एन. सी. एस. सी."), और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (इसके बाद "एन. सी. एस. टी.") को भी जोड़ा। अदालत ने अधिवक्ता श्री के. परमेश्वर को न्यायमित्र नियुक्त किया। 12 अप्रैल, 2023 को, इस अदालत ने रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 और 2 को जारी दो अधिसूचनाओं पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया है कि स्टेशनों पर यात्री डिब्बों और रेलवे पटरियों में स्वच्छता शौचालयों की सफाई में लगे व्यक्ति 2013 के अधिनियम में निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे यदि उन्हें फेस मास्क, दस्ताने, जूते और झाड़ू जैसे बुनियादी उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस अदालत ने रेलवे द्वारा कार्रवाई की कमी के बारे में एन. सी. एस. के. द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया, जैसा कि न्यायमित्र द्वारा अदालत में प्रस्तुत संकलन में शामिल रिपोर्टों में प्रस्तुत किया गया था। इसके आलोक में, अदालत ने रेलवे को इन पहलुओं को संबोधित करते हुए एक विशिष्ट संबंध प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

8. कार्यवाही के दौरान, 2 मई, 2023 को, 2013 के अधिनियम के तहत परिकल्पित केंद्रीय निगरानी समिति के अनियमित कामकाज के बारे में इस अदालत के संज्ञान में लाया गया था। जवाब में, इस अदालत ने कहा:

“[...] विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को केंद्रीय निगरानी समिति के संचालन के लिए एक व्यावहारिक विधि का संकेत देना चाहिए। उस समिति में 20 से अधिक सदस्य होते हैं।

और जाहिर तौर पर पिछले तीन वर्षों से नहीं मिले हैं। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि पिछले दस वर्षों में समिति की सात बार बैठक हुई है।

9. न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि संविधान का अनुच्छेद 15, 17, 23 और 24 एक मुक्ति संहिता बनाता है। उन्होंने कहा कि इन मौलिक अधिकारों की सामग्री में उत्पीड़ित वर्गों के लिए दमनकारी संरचनाओं से अलग होने और सम्मानजनक रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों की ओर बढ़ने का अधिकार शामिल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त अनुच्छेद दमनकारी संरचनाओं से मुक्ति का मौलिक अधिकार बनाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मुक्ति संहिता बंधुत्व के पूर्व सिद्धांत के लिए संदर्भित है और इसलिए मौलिक अधिकारों के क्षेत्रीय अनुप्रयोग में सक्षम है। 2013 का अधिनियम इस मुक्ति संहिता को आगे बढ़ाने के लिए है, और इस प्रकार संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है।

10. 2013 के अधिनियम की योजना को देखने के बाद, न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि 1993 के अधिनियम के साथ-साथ 2013 के अधिनियम दोनों को व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने अधिनियम की पहचान, निषेध, हाथ से मैला साफ करने के अपराधीकरण और हाथ से मैला साफ करने वालों के लिए पुनर्वास प्रावधानों में मुक्ति की प्रकृति का उल्लेख किया।

11. जहाँ तक 1993 के अधिनियम, 2013 और एन. सी. एस. के. अधिनियम के तहत बनाए गए संस्थानों का संबंध है, उन्होंने इस तथ्यात्मक स्थिति की ओर इशारा किया कि अधिकांश संस्थान गैर/उप-कार्यात्मक हैं। उन्होंने कहा कि ये संस्थान राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर हैं।

12. न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि 2013 के अधिनियम के तहत परिकल्पित सर्वेक्षण अधिनियम की मुक्ति प्रकृति से अलग नहीं है, जिसमें सर्वेक्षण के बिना हाथ से सफाई करने वालों की कोई पहचान और पुनर्वास नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया, के निर्णयों के संदर्भ में

बम्बई उच्च न्यायालय ने विमला गोविंद चोरोटिया और अन्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र 3 और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय व्यापार संघ परिषद बनाम भारत संघ 4 में कहा कि 2013 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

3 (2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 3002) 4 (2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन कार 2420)

1095

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1096 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

13. उन्होंने तर्क दिया कि 2013 और 2018 में किए गए सर्वेक्षण 2013 के अधिनियम और नियमों के अनुसार नहीं थे और इसलिए इन्हें सर्वेक्षण नहीं माना जा सकता है। अधिक विशिष्ट रूप से, उन्होंने आग्रह किया कि एन. सी. एस. के. ने स्वयं अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि आज तक देश में हाथ से मैला साफ करने के बारे में सरकार के पास कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है और विभिन्न स्थानों पर प्रमाण अलग-अलग हैं। उन्होंने 2013 के अधिनियम और नियमों के तहत संस्थानों की अनुपस्थिति को सर्वेक्षण प्रक्रिया की अपर्याप्तताओं से जोड़ते हुए कहा कि जब सर्वेक्षण के लिए संस्थान नहीं बनाए गए हैं, तो अधिनियम और नियमों के संदर्भ में सर्वेक्षण किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके लिए, उन्होंने सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ 5 में इस न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि 2013 का सर्वेक्षण अपर्याप्त था क्योंकि यह केवल 3546 वैधानिक शहरों तक सीमित था और इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं था। इस न्यायालय ने यह भी माना कि राज्य वास्तव में हाथ से मैला साफ करने में लगे लोगों की संख्या के केवल एक छोटे अनुपात की पहचान करने में सक्षम थे।

14. सीवर से होने वाली मौतों के पहलू पर, उन्होंने इस न्यायालय के ध्यान में 2013 के अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत 'खतरनाक सफाई' की अवज्ञाओं के साथ-साथ धारा 2 (पी) और 2 (क्यू)

के तहत 'सीवर' और 'सेप्टिक टैंक' की अवज्ञाओं को लाया। उन्होंने कहा कि हालांकि अधिनियम धारा 7 और 9 के तहत खतरनाक सफाई को प्रतिबंधित करता है, लेकिन जब तक सुरक्षात्मक उपकरण दिए जाते हैं, तब तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। इसके लिए उन्होंने 2013 के नियमों के नियम 3 (1) का उल्लेख किया और "कोई व्यक्ति नहीं" शब्दों पर जोर दिया।

सीवर को हाथ से साफ करने की अनुमति दी जाएगी "यह तर्क देने के लिए कि वैधानिक योजना ने माना कि सीवर या मैनहोल में प्रवेश केवल मशीनों द्वारा सीवेज को पूरी तरह से खाली करने के बाद ही हो सकता है।

15. यह तर्क दिया गया था कि जहाँ तक खतरनाक श्रमिकों के पुनर्वास का संबंध है, वहाँ एक विधायी शून्य है। उनके अनुसार, एकमात्र पुनर्वास सफाई कर्मचारी आंदोलन (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर है, जहां इस न्यायालय ने मुआवजे के रूप में रु। सीवर में डूबने से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

16. उन्होंने तर्क दिया कि संवैधानिक रूप से, खतरनाक सफाई संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम के बराबर है जैसा कि समझाया गया है।

5 2014 (4) एससीआर 197

इस न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 6 में

(पैरा 13-14)। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि 2013 के अधिनियम का उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को मानव मलमूत्र और खतरनाक सफाई के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, जिसके तहत व्यक्ति को सुरक्षात्मक उपकरण/सुरक्षा सावधानियों के बिना मानव मलमूत्र में खुद को डुबोने या उसके संपर्क में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध जबरन श्रम के अलावा और कुछ नहीं है। "जबरन श्रम" की एक संकीर्ण व्याख्या, इसे केवल उन मामलों तक सीमित रखना जहां पारिश्रमिक की कमी है, अनुच्छेद 23 के इरादे के विपरीत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की संकीर्ण व्याख्या संरचनात्मक भेदभाव को दूर करने में विफल रहेगी और

यह वाक्यांश "जबरन श्रम के अन्य समान रूपों" का भी अनुवाद करेगा।

इसके अतिरिक्त, यह आगे प्रस्तुत किया गया कि खतरनाक सफाई करने के लिए कर्मचारी द्वारा दी गई "सहमति" का मतलब यह नहीं है कि श्रम को मजबूर नहीं किया जाता है।

रिलायंस को पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (ऊपर) पर रखा गया, जिसके बाद संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य 7 में रखा गया।

17. न्यायमित्र ने आगे तर्क दिया कि हाथ से मैला साफ करने की तरह, खतरनाक सफाई भी 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न एक प्रथा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत प्रतिबंधित किया

जाना चाहिए। उन्होंने नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 की अदालत की धारा 7 ए का ध्यान आकर्षित किया, जो विशेष रूप से किसी भी सफाई या झाड़ू लगाने या इसी तरह की प्रकृति के किसी भी अन्य काम को 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न होने वाली जबरन अक्षमता के रूप में प्रतिबंधित करता है। न्यायमित्र ने तर्क दिया कि यदि न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि खतरनाक सफाई अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, तो सीवेज की सफाई में लगे व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से इसका अभ्यास करने का सवाल नहीं उठता है।

18. न्यायमित्र ने आग्रह किया कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दो वैधानिक सवार कार्यपालिका को वैधानिक रूप से अपवादों को बनाने का अधिकार देते हैं, भले ही वे स्पष्टीकरण के रूप में दिए गए हों: सबसे पहले, धारा 2 (ई) में "अस्वच्छ शौचालय" की परिभाषा में कहा गया है कि:

“रेलवे यात्री डिब्बे में जल शौचालय, जब किसी कर्मचारी द्वारा ऐसे उपकरणों की मदद से साफ किया जाता है और ऐसे सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है, तो इसे अस्वच्छ शौचालय नहीं माना जाएगा।”

6 1983 (1) एससीआर 456 7 1983 (2) एससीआर 271 1097

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1098

दूसरा, धारा 2 (1) (जी) में "हाथ से सफाई करने वाले" की अवज्ञा का स्पष्टीकरण विनिर्दिष्ट है कि “ऐसे उपकरणों की मदद से मलमूत्र को साफ करने में लगे या नियोजित व्यक्ति और ऐसे सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करना, जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचित करे, 'हाथ से सफाई करने वाला' नहीं माना जाएगा।

19. यह प्रस्तुत किया गया था कि इन सवारों को सबसे संकीर्ण संभव व्याख्या दी जानी चाहिए, यह देखते हुए कि कानून अस्पृश्यता और अमानवीय श्रम को दंडित करता है। यह भी आग्रह किया गया कि संदर्भित सुरक्षात्मक उपकरण और उपकरण ऐसी प्रकृति के होने चाहिए कि वे प्रक्रिया के पर्याप्त या लगभग पूर्ण मशीनीकरण को प्राप्त करें ताकि श्रमिक की गरिमा को बनाए रखा जा सके और कोई संरचनात्मक भेदभाव न हो।

20. एन. सी. एस. के. के कामकाज के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान में, इसमें केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक अतिरिक्त सदस्य हैं और चार सदस्य पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई कमीशन नहीं था। 2013 के अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में, राज्य सरकार से भी राज्य स्तर पर एन. सी. एस. के. के समान शक्तियों के साथ एक राज्य आयोग को अधिसूचित करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोग केवल कुछ ही राज्यों में मौजूद है।

21. विद्वान न्यायमित्र ने यह भी बताया कि अधिनियम की धारा 29 (3) में केंद्रीय निगरानी समिति 8 (इसके बाद "सी. एम. सी.") की हर छह महीने में बैठक करने की आवश्यकता है। हालांकि, 2013 से 2022 के बीच, यह केवल सात बार मिला। 3 साल के अंतराल के बाद, इस अदालत के आदेश

दिनांक 02.05.2023 के हस्तक्षेप के बाद CMC की आठ बार बैठक हुई। इसी तरह, न्यायमित्र ने राज्य निगरानी समिति 9 (इसके बाद "एस. एम. सी.") का आयोजन न करने के संबंध में आंकड़ों का नेतृत्व किया।

8 धारा 29 के अनुसार, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, एन. सी. एस. सी. के अध्यक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, एन. सी. एस. के. के अध्यक्ष, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों आदि से बनी केंद्रीय निगरानी समिति (सी. एम. सी.) का गठन किया जाएगा। सी. एम. सी. के कार्य, जैसा कि धारा 30 के तहत वर्णित हैं- अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की निगरानी और सलाह देना, सभी संबंधित एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना और अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी अन्य मामले को देखना।

9 2013 के अधिनियम की धारा 26 में प्रत्येक राज्य में एक राज्य निगरानी समिति (एस. एम. सी.) के गठन का प्रावधान है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित एक मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण के प्रभारी मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि और कम से कम दो सफाई कर्मचारी शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

कुछ राज्यों में जिला सतर्कता समिति (इसके बाद "डी. वी. सी.") का गठन नहीं किया गया और आंकड़ों के चार अलग-अलग स्रोतों से एस. एम. सी. के गठन में स्पष्ट विसंगतियां दिखाई दीं।

22. इसके अलावा, 2013 के नियमों के अनुसार 10 राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति (इसके बाद "एस. एल. एस. सी.") और जिला स्तरीय समिति (इसके बाद "डी. एल. सी.") के निर्माण के संबंध में जो सर्वेक्षण प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

“हाथ से सफाई करने वालों की एकीकृत सूची का प्रकाशन

संबंधित जिले/राज्य में, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने एसएलसी का गठन किया है, जिसमें ओडिशा डीएलएससी का गठन करने वाला एकमात्र राज्य है। हालाँकि, संघ के एफ्री डेविट दिनांक 05.07.23 में दावा किया गया है कि कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने भी सर्वेक्षण समितियों का गठन किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

23. न्यायमित्र ने संक्षेप में सुझाव दिया कि अदालत को सी. एम. सी. के तत्वावधान में एक कार्यबल के गठन का निर्देश देना चाहिए और 2013 और 2018 के सर्वेक्षण के तहत अपर्याप्त आंकड़ों पर भरोसा करके एक नया सर्वेक्षण करना चाहिए, वर्ष के लिए एन. सी. एस. के. की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 05.07.2023 पर आयोजित सी. एम. सी. की बैठक और संघ के एफ़. आई. डी. आई. के नेतृत्व में विश्वसनीय डेटा के बारे में अनिश्चितता। इसके अलावा 2013 के अधिनियम और नियमों के तहत संस्थानों की स्थापना करना और सीवर की सफाई के कारण मृत व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें मुआवजा देने के उपाय करना।

हस्तक्षेप करने वालों की ओर से प्रस्तुतियाँ

24. सुश्री जयना कोठारी, एक पंजीकृत सोसायटी, ग्रामीण सशक्तिकरण केंद्र, थामाटे का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अदालत को धारा 2 (1) (जी) के स्पष्टीकरण (बी) की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देनी चाहिए ताकि हाथ से मैला साफ करने वाले की अवज्ञा की व्यापक व्याख्या की जा सके। इस व्याख्या में हाथ से सफाई में लगे किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, चाहे वह सीवर या सेप्टिक टैंक में हो, चाहे वे उपकरण या सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करें क्योंकि सफाई प्रक्रिया हाथ से होती है। यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें 2013 के अधिनियम की धारा 11-16 के तहत पुनर्वास और राहत के लिए हाथ से सफाई करने वालों के रूप में शामिल किया जाए। यह सुझाव दिया गया था कि कुछ मामूली सुरक्षात्मक उपकरण जैसे कि केवल दस्ताने प्रदान करने से भी कवरेज से छूट मिलेगी।

अनुसूचित जाति आदि से संबंधित राज्य विधानमंडल के सदस्य। धारा 27 के तहत इसके कार्य केंद्रीय निगरानी समिति 10 नियम 11 के समान हैं, जिन्हें नियम 2 और 2 (जे) के साथ पढ़ा जाता है।

1099

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1100

उस व्यक्ति का मौजूदा खंड में हाथ से सफाई करने वाले की अवज्ञा से। परिभाषा को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देने पर जोर देना,

सुश्री कोठारी ने बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज पर निर्भरता रखी

बोर्ड बनाम ए. राजप्पा 11, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने देश का विस्तार किया

उद्योग विभाग और एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण,

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार 12, जिसमें इस अदालत ने एकल और अविवाहित महिलाओं को शामिल करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्रेन्सी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के प्रावधानों की व्याख्या की।

25. विद्वान अधिवक्ता ने हाथ से मैला साफ करने वाले की समावेशी परिभाषा के मशीनीकरण और श्रेणीबद्ध कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। आधुनिक प्रौद्योगिकी की क्षमता को स्पष्ट करने के लिए बैंडिकूट 13 जैसे उदाहरण प्रदान किए गए थे। यह ध्यान दिया गया कि कई देशों ने "मैनहोल" शब्द को "मशीन होल" से बदल दिया है जो भाषा में परिवर्तन के महत्व पर जोर देता है। प्रक्रिया को पूरी तरह से मशीनीकृत करने के लिए एक श्रेणीबद्ध समयरेखा का सुझाव दिया गया था। वकील ने स्वच्छ भारत मिशन और एन. ए. एम. ए. एस. टी. ई. जैसी योजनाओं में कमियों को भी प्रस्तुत किया क्योंकि यह केवल शहरी स्थानीय निकायों तक ही सीमित है, दूसरा यह राज्य अधिकारियों द्वारा तैनात मशीनीकरण प्रौद्योगिकी पर चुप है। अंत में, कुछ निर्देश भी सुझाए गए जैसे कि सभी जिलों में हाथ से सफाई करने वालों की पहचान के लिए किए जा रहे सर्वेक्षणों पर रिपोर्ट करना, पहचान पत्र जारी करना, पुनर्वास आवश्यकताओं का पालन करना और राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर निगरानी समितियों की बैठकें आयोजित करना। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव

दिया गया था कि हाथ से मैला साफ करने में लगी महिलाओं की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए डेटा को अलग किया जाना चाहिए।

26. नई दिल्ली में स्थित एनजीओ/ट्रस्ट, मांगंगो इंडिया इंटरनेशनल ने हस्तक्षेप करते हुए एक स्थायी और समयबद्ध व्यापक नीति कार्य योजना तैयार करने के लिए नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के उपाध्यक्ष को निर्देश देने के लिए एक रिट या उचित उपाय जारी करने के लिए प्रार्थना की, जिसमें सीवेज की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने के लिए आधुनिक तकनीक को अनिवार्य रूप से अपनाना शामिल होना चाहिए, जिसमें किसी भी रूप में हाथ से सफाई करने को दंडनीय घोषित किया जाना चाहिए। इसे पुराने और खतरनाक के उन्नयन की आवश्यकता को भी संबोधित करना चाहिए।

11 [1978] 3 एससीआर 207

12 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1321। 13 2018 में एक रोबोट विकसित किया गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

स्वच्छता अवसंरचना, पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट निपटान विधियों को बढ़ावा देना, हाथ से सफाई करने वालों, विशेष रूप से लड़कियों के बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना और हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ जो इस प्रथा से प्रभावित लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुति

27. इस अदालत ने 2 मई, 2023 के आदेश द्वारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) से सी. एम. सी. के संचालन के लिए एक व्यावहारिक विधि का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया। ए. एस. जी. ने जवाब दिया कि सी. एम. सी. ने पिछले तीन वर्षों से यह नहीं कहा था कि ये समितियाँ वार्षिक रूप से आयोजित की जाती हैं और आखिरी बार 8 जनवरी, 2020 को आयोजित की जाती हैं। हालांकि, कोविड महामारी के कारण बाद की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। इस बीच, नागरिक समाजों का प्रतिनिधित्व करने वालों सहित समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अवधि के दौरान समाप्त हो गया है।¹⁴ 28. सर्वेक्षण के संबंध में, ए. एस. जी. ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी 2013 अधिनियम के अधिदेश के तहत आती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्वेक्षण के पूरा होने की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, 2013 के नियमों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक "जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति" को जिला स्तर पर सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी और पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि 2013 के अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा हाथ से सफाई करने वालों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है;

इसके बजाय, यह स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले स्थानीय सर्वेक्षणों को अनिवार्य करता है। 15 वैसे भी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "स्वच्छता अभियान" मोबाइल ऐप पेश किया है ताकि आम जनता अस्वच्छ शौचालयों और किसी भी संबंधित हाथ से सफाई करने वालों के बारे में रिपोर्ट कर सके और इसलिए, इस तरह के मोबाइल ऐप के उपयोग के माध्यम से हाथ से सफाई का सर्वेक्षण जारी है। हालांकि, मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ऐप को विश्वसनीय डेटा नहीं मिला है और संबंधित प्रशासन द्वारा इसका सत्यापन किया जाना है।

29. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सरकार ने 2013 में सर्वेक्षण करने के लिए ₹ 10.48 करोड़ का खर्च किया

14 (भारत संघ का नोट dt.12.05।2023 (खण्ड. 6)/भारत संघ का नोट dt.26.07।2023 (खण्ड. 5)

15 भारत संघ का नोट dt.26.07।2023 (खण्ड. 5)

1101

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1102

हाथ से सफाई करने वालों की पहचान करने के लिए लगभग ₹ 55.52 करोड़ के मुआवजे का भुगतान। 2013 में शुरू किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, लगभग 13,881 हाथ से सफाई करने वालों का राज्यवार विवरण तैयार किया गया था।¹⁶ इसके अलावा, 2018 और 2020 के बीच 194 जिलों में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 44,217 हाथ से सफाई करने वालों की पहचान की गई और हाथ से सफाई करने वालों की पहचान करने के लिए 1 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया। यूनिशन ने बताया कि वर्ष 2013 के बाद सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय 663 लोगों की जान चली गई है। इनमें से 631 मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया है और 648 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

30. संघ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एकमुश्त नकद सहायता प्रदान करने के अलावा, उसने 2,313 मैला ढोने वालों या उनके आश्रितों को रियायती ऋण के साथ-साथ पूंजीगत सब्सिडी (5 लाख तक) प्रदान की थी। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 22,294 इच्छुक और योग्य मैला ढोने वालों/आश्रितों को नामांकित किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए अन्य लाभों को भी सूचीबद्ध किया गया था।¹⁷

31. इसके अतिरिक्त, संघ ने 62.81 लाख स्वच्छता शौचालयों के निर्माण में अपने प्रभाव के बारे में प्रस्तुत किया। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि 766 जिलों में से 650 जिलों ने खुद को हाथ से मैला ढोने से मुक्त बताया है, जबकि 116 जिलों से इस मामले पर उनकी स्थिति के बारे में रिपोर्ट अभी भी लंबित है।¹⁸

32. न्यायमित्र द्वारा बताए गए आंकड़ों में विसंगति के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (इसके बाद "एन. एस. के. एफ. डी. सी".) राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालयों और नागरिक समाज संगठनों के परामर्श से नीति आयोग के तत्वावधान में गठित राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि हाथ से सफाई

करने वालों से संबंधित डेटा, जैसा कि एन. एस. के. एफ. डी. सी. द्वारा प्रमाणित और सत्यापित किया गया है, एकमात्र विश्वसनीय डेटा है और इसे आधिकारिक माना जाना चाहिए। एन. एस. के. एफ. डी. सी. के आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक कुल 58,098 हाथ से सफाई करने वालों की पहचान की गई है।

16 यूनियन ऑफ इंडिया के नोट dt.26.07 में भी बताया गया है। 2023 (खण्ड. 5)

17 भारत संघ का नोट dt.26.07।2023 (खण्ड. 5)/भारत संघ का नोट dt.05.07।2023 (खण्ड. 7)

18 खण्ड 10, पृष्ठ 129, दिनांक 9. 8.23.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

एन. सी. एस. के. ने दिनांक 12.4.2023 के जवाब में कहा कि एन. एस. के. एफ. डी. सी. द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2018 के अनुसार हाथ से मैला ढोने वालों की कुल संख्या की गणना मुख्य रूप से सर्वेक्षण किए गए राज्यों और जिलों की संख्या में भिन्नता के कारण सर्वेक्षण की प्रगति के साथ भिन्न होती है। 24.07.2021 और 08.12.2021 के लिए डेटा में स्पष्ट विसंगति चल रही पहचान कैटायन और बाद की सत्यापन कैटायन प्रक्रियाओं का परिणाम है।¹⁹

33. इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संसद को दी गई जानकारी में कोई विसंगति नहीं है। 1 दिसंबर, 2021 को, राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 450 के जवाब में, यह बताया गया कि 2013 के अधिनियम के अनुसार किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से कुल 58,098 हाथ से सफाई करने वालों की पहचान की गई थी। इसके बाद, राज्यसभा में एक अन्य अतारांकित प्रश्न सं। 1254 दिनांक 8.12.2021; सरकार ने समान संख्या में हाथ से मैला साफ करने वालों की पहचान को दोहराया। सरकार ने संसद को सूचित किया कि वर्तमान में देश भर में हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्तियों की कोई रिपोर्ट नहीं है और हाथ से मैला ढोने से कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई करते समय दुर्घटनाओं में 321 लोगों की जान चली गई थी। अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में। 3822 लोकसभा में दिनांक 21.12.2021 में, सरकार ने एक बार फिर कहा कि देश में वर्तमान में हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्तियों की कोई रिपोर्ट नहीं है। अलग-अलग समय पर हाथ से सफाई करने वालों की संख्या आवश्यक रूप से हाथ से सफाई करने में लगे व्यक्तियों की वर्तमान संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती है क्योंकि कई लोगों ने सरकार के विभिन्न प्रभावों और 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के कारण हाथ से सफाई करने का काम छोड़ दिया है। 20.

34. यह आगे तर्क दिया गया कि हाथ से सफाई करने वालों की पहचान मुख्य रूप से योजना के अनुसार पुनर्वास लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका यह गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि पहचान किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि सक्रिय हाथ से मैला साफ करने की गतिविधियों में वृद्धि का संकेत देती है।²¹

1103

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1104

35. न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों के जवाब में, संघ ने सी. एम. सी. के तहत एक कार्य बल स्थापित करने की आवश्यकता के खिलाफ तर्क दिया क्योंकि सरकार ने मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (एन. ए. एम. ए. एस. टी. ई.) 22 के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई की एक योजना तैयार की थी, जिसमें तीन स्तरीय कार्य समितियों (कार्य समिति, राज्य निगरानी समिति और जिला/शहरी स्थानीय निकाय स्तर की समिति) बनाने का प्रस्ताव है। ये समितियाँ एन. ए. एम. ए. एस. टी. ई. के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तिमाही बैठक करेंगी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि एक अलग कार्य बल की कोई आवश्यकता नहीं है।²³

36. एन. सी. एस. के. के संबंध में, संघ ने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य को 31.03.2025 तक की अवधि के लिए 03.03.2023 पर नियुक्त किया गया है। शेष चार रिक्त सदस्य पदों के लिए नामांकन पर विचार किया जा रहा है।²⁴

37. राष्ट्रीय स्तर की जनगणना के संबंध में वर्ष के लिए एन. सी. एस. के. की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में निहित सिफारिशों के जवाब में

देश, राज्य, जिला, शहरी/ग्रामीण, पुरुष/महिला जैसे सभी प्रशासनिक स्तरों पर देश में एक मंच पर हाथ से मैला साफ करने वाले

आदि।" जैसा कि न्यायमित्र द्वारा संदर्भित किया गया है, एन. सी. एस. के. द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में की गई टिप्पणी को भारत सरकार द्वारा अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि "ऐसा नहीं है।

यह संभव प्रतीत होता है, क्योंकि हाथ से सफाई करने वालों की पहचान का आधार उनके कार्यस्थल/नियोक्ता के संदर्भ में सत्यापन होना चाहिए, न कि केवल स्व-घोषणा। जनगणना संचालन में, इस तरह के सत्यापन आम तौर पर नहीं किए जाते हैं।²⁵

38. संघ ने बताया कि अब तक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से शेष 2 राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) को छोड़कर 2013 के अधिनियम और नियमों द्वारा अनिवार्य विभिन्न समितियों की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। 23 राज्यों में, एक राज्य आयोग

22 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल अगले तीन वर्षों के दौरान देश के सभी 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में प्रसारित होगी।

23 भारत संघ का नोट dt.26.07|2023 (खण्ड. 5)/भारत संघ का नोट dt.05.07|2023 (खण्ड. 7)

24 भारत संघ का नोट dt.26.07|2023 (खण्ड. 5)/भारत संघ का नोट dt.05.07|2023 (खण्ड. 7)

25 भारत संघ का नोट dt.26.07|2023 (खण्ड. 5)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

सफाई कर्मचारियों की स्थापना की गई है या एक एजेंसी नामित की गई है। इसके अतिरिक्त, 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य निगरानी समितियों का गठन किया है, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जिला सतर्कता समितियों का गठन किया है और 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उप-मंडल स्तर की सतर्कता समितियों का गठन किया है।²⁶ यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कर्नाटक और दिल्ली को छोड़कर, किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2013 के अधिनियम के तहत अभियोजन के बारे में रिपोर्ट नहीं की है।²⁷

39. रेलवे ने अपने एफ़ी डेविट दिनांक 02.05.2023 में हाथ से मैला साफ करने को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों की रूपरेखा तैयार की है। यह प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने यात्री डिब्बों के लिए पर्यावरण के अनुकूल जैव-शौचालय 28 विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी. आर. डी. ओ.) के साथ सहयोग किया है।³¹ मार्च, 2023 तक कुल 84,402 डिब्बों में जैव-शौचालय स्थापित किए गए हैं। ट्रेन शौचालयों की सफाई निर्दिष्ट स्वच्छ ट्रेन स्टेशनों (सीटीएस) पर उच्च दबाव वाले जेट और विशिष्ट सी रसायनों का उपयोग करके की जाती है।²⁹

40. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के समक्ष न्यायमित्र द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में, रेल मंत्रालय ने दिनांक 26.04.2023 के आदेश द्वारा दिनांक 04.06.2014³⁰ और दिनांक 13.10.2014³¹ को जारी अधिसूचना वापस ले ली है। रेलवे ने सफाई सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए एक मॉडल अनुबंध भी जारी किया है, जो श्रमिकों के लिए मशीनीकृत प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य करता है।³²

41. एन. सी. एस. के. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि इसकी एक सीमित भूमिका है, जो मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों के संबंध में उपायों की सिफारिश करने और 2013 के अधिनियम में उल्लिखित इन उपायों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। अन्य आयोगों के विपरीत, एन. एस. सी. के. न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है। यह करता है।

26 भारत संघ का नोट dt.26.07।2023 (खण्ड. 5) 27 भारत संघ का नोट dt.26.07।2023 (खण्ड. 5)

28 इन जैव-शौचालयों में, अपशिष्ट प्रतिधारण टैंकों को शौचालयों के नीचे कोच फ्लोर के नीचे रखा जाता है और मानव अपशिष्ट, जो उनमें छोड़ा/एकत्र किया जाता है, पर अवायवीय बैक्टीरिया की एक कॉलोनी द्वारा कार्य किया जाता है जो मानव अपशिष्ट को मुख्य रूप से पानी और जैव-गैसों (मुख्य रूप से मीथेन सीएच 4 और कार्बन डाइऑक्साइड सीओ 2) में परिवर्तित करता है। गैसों वायुमंडल में निकलती हैं और पटरी पर कीटाणुशोधन के बाद अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है।

29 भारत संघ का नोट dt.09.08।2023 (खण्ड. 10) 30 जीएसआर 376 (ई) के माध्यम से

31 जीएसआर 726 (ई) के माध्यम से

32 भारत संघ का नोट dt.09.08।2023 (खण्ड. 10)

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1106

संबंधित प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को बुलाने या उनके पास मौखिक साक्ष्य रखने की शक्तियां नहीं हैं। नतीजतन, आयोग पीड़ित सफाई कर्मचारियों को राहत प्रदान करने में प्रभावी रूप से खुद को साबित करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, आयोग को कर्मचारियों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आंतरिक प्रशासन सहित इसके सभी कार्यों के लिए केवल 16 कर्मी जिम्मेदार होते हैं।

42. एन. सी. एस. के. अधिनियम, 1993 के समाप्त होने के बाद से, आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक अस्थायी निकाय के रूप में काम कर रहा है। इसका कार्यकाल समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जिसमें अंतिम विस्तार 1.4.2022 से 31.3.2025 तक दिया जाता है।

43. इस अदालत के आदेश और 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एन. सी. एस. के. ने कुछ कदम उठाए हैं जैसे कि 20 बिंदुओं की जाँच सूची प्रसारित करना, राज्यों को उचित बजट शीर्ष खोलने और धन आवंटित करने की सलाह देना आदि। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि निरंतर निगरानी के कारण, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 31.03.2023 तक सीवर से होने वाली मौतों के 167 मामलों में, 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच भी की, उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष में सीवर से होने वाली मौतों के 19 मामलों में से समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर संज्ञान लिया गया और 15 मामलों में कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा दिया गया।

44. सूखे शौचालयों के उन्मूलन के बारे में उत्तरदाताओं से मांगी गई जानकारी के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य इस संबंध में उठाए गए कदमों और उपलब्धियों के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह भी प्रस्तुत किया कि 1993 से, सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई करते समय दुर्घटनाओं के कारण 1,035 लोगों की जान चली गई। 27 मार्च 2014 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, सीवर/सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय मरने वालों के 948 परिवारों को मुआवजा प्रदान किया गया है। हालांकि, हाथ से मैला साफ करने के परिणामस्वरूप कोई मौत नहीं हुई है।

45. संघ के एफ़ी डेविट दिनांक 18.04.2023 ने खुलासा किया कि 4478 स्थायी और 9897 आउटसोर्स सफाई कर्मचारी हैं जो

33 अधिसूचना सं. सं. के माध्यम से निकाला गया प्रभाव। एन-16/5/2021-प्लान दिनांकित 3.2.2022।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

34 सामान्य स्वच्छता बनाए रखने के लिए छावनी बोर्ड। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले मौजूद किसी भी सूखे शौचालय को नष्ट कर दिया गया और स्वच्छता शौचालयों में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्ष 2013 से छावनी बोर्डों द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों में सीवरेज से संबंधित मौतों की कोई घटना नहीं हुई है। 46. अंत में, यह प्रस्ताव किया गया कि यह न्यायालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है कि अदालत के आदेश की घोषणा के छह महीने के भीतर प्रत्येक जिले में उपाय (एक आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ई. आर. एस. यू.) की स्थापना, एक जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण का पदनाम, एक हेल्प लाइन संख्या 35 की स्थापना, मशीनीकृत सफाई विधियों का आश्वासन और ई. आर. एस. यू. में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों और मशीनों की उपलब्धता) लागू हो। 36 इसके अलावा, खतरनाक सफाई के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों को रोकने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए उचित निर्देश जारी करना, जिसमें अधिनियम के तहत विभिन्न समितियों का गठन और एनएएमएसटीई योजना का कार्यान्वयन शामिल है। 37

विश्लेषण और तर्क

47. 2013 का अधिनियम न केवल हाथ से मैला साफ करने को अपराध मानता है, बल्कि हाथ से मैला साफ करने वालों की मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास तंत्र का भी प्रावधान करता है। अधिनियम का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक 'नियमावली की पहचान' है

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाईकर्मों और उनका पुनर्वास

धारा 11 से 16 तक और जहां तक पुनर्वास का संबंध है, यह एक संपूर्ण संहिता है। 2013 के अधिनियम में पुनर्वास की दिशा में पहला कदम सर्वेक्षण के माध्यम से हाथ से सफाई करने वालों की पहचान करना है। यह सर्वेक्षण नगरपालिकाओं के लिए धारा 11 और पंचायतों के लिए धारा 14 के तहत है। 48. सर्वेक्षण करने के लिए कार्यप्रणाली [और बनाए गए संस्थान] 2013 के नियमों के तहत प्रदान किए गए हैं। इन नियमों में नियम 11 के तहत विशिष्ट प्राधिकरणों यानी एस. एल. एस. सी. और डी. एल. एस. सी. को विस्तृत भूमिका निभाने का प्रावधान है। नियम 11 (2) के तहत, एस. एल. एस. सी. और डी. एल. एस. सी. को उन सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाने चाहिए जहां अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं। द.

34 (pg.52, Vol.3)। 35 अधिमानतः 14420

36 भारत संघ का नोट dt.09.08।2023 (खण्ड. 10) 37 भारत संघ का नोट dt.26.07।2023 (खण्ड. 5)

1107

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1108

स्थानीय प्राधिकरण को नियम 11 (3) के अनुसार सफाई कर्मचारियों की पहचान के लिए सामुदायिक नेताओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ हाथ मिलाने का आदेश दिया गया है। नियम 11 (4) हाथ से सफाई करने वालों द्वारा स्व-घोषणा का प्रावधान करता है जबकि नियम 11 (5) गैर

सरकारी संगठनों को हाथ से सफाई करने वालों की सूची जमा करने की अनुमति देता है जिन्हें उनकी पहचान करने के लिए सत्यापित किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में अस्वच्छ शौचालयों की सेवा करने वाले हाथ से सफाई करने वालों की पहचान करने के लिए नियम 11 (6) के तहत घर-घर सर्वेक्षण अनिवार्य है। पर्यवेक्षकों को नियम 11 (8) के तहत नियुक्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वेक्षण में एकत्र किया गया डेटा सही है। इसके बाद, आपत्तियों और सुनवाई को आमंत्रित करने के बाद हाथ से सफाई करने वालों की एक सूची बनाई जाती है। अंततः, सूची डी. एल. एस. सी. द्वारा संकलित की जाती है। एक सर्वेक्षण द्वारा उनकी पहचान के बाद, धारा 11 (6) के तहत हाथ से सफाई करने वालों का एक वित्तीय प्रकाशन प्रकाशित किया जाना है। विशेष रूप से, धारा 12 के तहत, एक व्यक्ति धारा 11 के तहत प्रकाशित सूची में जोड़े जाने के लिए आवेदन कर सकता है।

49. सूची के प्रकाशन पर, धारा 6 (2) के साथ पठित धारा 11 (7) के तहत मुक्ति का प्रावधान प्रभावी होता है। यह घोषणा करता है कि हाथ से सफाई करने वाले हाथ से सफाई करने वाले के रूप में काम करने के किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यह प्रावधान कानून का मूल है-घोषणा हाथ से सफाई करने वालों को उनके ऐतिहासिक रूप से दमनकारी व्यवसायों के चंगुल से मुक्त करती है। परिणामस्वरूप कानून उन्हें पुनर्वास की प्रक्रिया के माध्यम से सशक्त बनाता है। अतः उपरोक्त प्रावधानों सहित 2013 के अधिनियम की व्याख्या बंधुत्व को बढ़ावा देने के रूप में की जानी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा।

50. पुनर्वास के लिए अधिकार धारा 13 के तहत प्रदान किए गए हैं। इसमें परिकल्पना की गई है कि एक महीने के भीतर एक हाथ से सफाई करने वाले को एक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण और प्रारंभिक, एक बार की नकद सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। इस अधिनियम में हाथ से मैला ढोने वाले के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय भूखंड का आवंटन, घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, हाथ से मैला ढोने वाले को या उसके परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 3,000 रुपये से कम के वजीफे के साथ आजीविका कौशल, वैकल्पिक व्यवसाय करने के लिए रियायती ऋण आदि की भी परिकल्पना की गई है।

51. ये पुनर्वास अधिकार केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रकाशित हाथ से सफाई करने वालों की अंतिम सूची में शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

धारा 11 (6) के तहत या अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत सूची में जोड़ा गया। इस प्रकार इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अधिनियम और नियमों के अनुसार सर्वेक्षण के बिना, पुनर्वास के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है।

52. यह कि पुनर्वास केवल पहचान पर ही हो सकता है, संघ द्वारा गंभीर रूप से विवादित नहीं किया गया है। हालांकि संघ का तर्क है कि (i) 2013 का अधिनियम एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर विचार नहीं करता है, लेकिन स्थानीय निकायों के स्तर पर एक स्थानीय सर्वेक्षण को अनिवार्य करता है और (ii) 2013 और 2018 में दो राष्ट्रीय सर्वेक्षण पहले ही किए जा चुके हैं।

धारा **11** की व्याख्या

53. संघ का यह तर्क कि धारा 11 में स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय सर्वेक्षण की आवश्यकता है, न कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष रूप से आकर्षक है। हालांकि, 2013 का अधिनियम एक नियमित कानून नहीं है: यह चरित्र में मुक्तिदायी है और उत्थान की संवैधानिक संहिता की अभिव्यक्ति है। 2013 के अधिनियम का अभूतपूर्व उद्देश्य, जैसा कि इसके शीर्षक 38 से स्पष्ट है, यह सुनिश्चित करना है कि हाथ से सफाई करने वालों का पुनर्वास किया जाए। जैसा कि ऊपर पाया गया है, पुनर्वास पहचान के बाद का एक कदम है। सर्वेक्षण के बिना, पुनर्वास व्यावहारिक नहीं है। वैधानिक योजना को ऐसी व्याख्या के माध्यम से कमजोर नहीं किया जा सकता है जो 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन को केवल स्थानीय निकायों पर छोड़ दे, बिना सरकारों-राज्य और केंद्र के किसी भी मार्गदर्शन के। दूसरे शब्दों में, 2013 के अधिनियम द्वारा की गई हितकारी प्रतिबद्धता को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति-ढांचे के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

54. केंद्र और राज्य सरकारें उन मापदंडों को निर्धारित करने के लिए कर्तव्यबद्ध थीं और हैं जिनके तहत एक स्थानीय निकाय को सर्वेक्षण करने के लिए अनिवार्य किया गया था। जबकि सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली 2013 के नियमों के तहत प्रदान की गई है, सर्वेक्षण के संचालन के लिए ट्रिगर 2013 के नियमों के साथ-साथ 2013 अधिनियम दोनों से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। एक ट्रिगर की अनुपस्थिति 2013 के अधिनियम और इसकी संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को गैर-कार्यान्वयन से अलग नहीं कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थानीय निकायों की सनक और इच्छाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। स्थानीय निकायों को करना चाहिए

38 इस कानून का शीर्षक है "हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, **2013** "।

1109

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1110

सर्वेक्षण कब किया जाना चाहिए और किन स्थानीय निकायों को सर्वेक्षण करना चाहिए, इस पर दिशा-निर्देश निर्धारित करके केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। इस तरह की नीति के बिना, एक स्थानीय निकाय से 2013 के अधिनियम को उचित तरीके से लागू करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

55. इसी तरह, स्वराज अभियान बनाम भारत संघ 39 में इस न्यायालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करते हुए देखा कि कुछ राज्य कानून को लागू नहीं कर रहे थे। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

“109. यह आश्चर्य की बात है कि एन. एफ. एस. अधिनियम जैसे संसद द्वारा अधिनियमित कानून का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की सनक और इच्छाओं पर छोड़ दिया गया है, और एन. एफ. एस. अधिनियम लागू होने के बाद गुजरात को इसे लागू करने में दो साल से अधिक समय लग गया है और उत्तर प्रदेश ने इसे केवल आंशिक रूप से लागू किया है। बल्कि यह है

अजीब है। एक राज्य सरकार, संसद द्वारा पारित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कानून के कार्यान्वयन में देरी करके, इसे लागू करने से प्रभावी रूप से इनकार कर रही है और संसद मूक दर्शक बनी रहती है। क्या हमारा संविधान ऐसी स्थिति को स्वीकार करता है?

क्या यही "संघवाद" है? में जानबूझकर निष्क्रियता

राज्य सरकार द्वारा संसदीय कानून के कार्यान्वयन से केवल अराजकता या उससे भी बदतर स्थिति पैदा हो सकती है। कोई भी शायद ही कल्पना कर सकता है कि इसका क्या परिणाम होगा यदि कोई राज्य सरकार, इसी तरह के तर्क पर, यह निर्णय लेती है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए अन्य संसदीय कानूनों को लागू नहीं करेगी। उम्मीद है कि किसी को, कहीं न कहीं, कभी-कभी संभावित खतरनाक परिणामों का एहसास होगा।”

56. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मामले (उपरोक्त) में संदर्भित परेशान करने वाले परिणाम हाथ से सफाई करने वालों के मामले में भी प्रकट हुए हैं-2013 अधिनियम की पूरी वैधानिक योजना को चुनौती दी गई है क्योंकि पुनर्वास की दिशा में पहला कदम नहीं उठाया गया है। हमारी संवैधानिक योजना ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करती है जहां संसदीय अधिनियमों को कार्यकारी निष्क्रियता द्वारा मृत-अक्षर कर दिया जाता है। संघ का यह तर्क

39 (2016) 7 एससीसी 498

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

इसलिए इसे इस हद तक खारिज किया जाना चाहिए कि जबकि स्थानीय सरकारों को सर्वेक्षण करना चाहिए, यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उपयुक्त अधिकारियों के लिए था कि वे सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए मापदंड निर्धारित करें। 2013 के अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भी इन अधिकारियों का दायित्व था। दोनों ही मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया है।

पिछले **(2013 और 2018)** सर्वेक्षणों की असंवेदनशीलता

57. संघ का दूसरा निवेदन यह है कि वास्तव में 2013 और 2018 में दो सर्वेक्षण किए गए थे और एक मोबाइल एप्लिकेशन पर एक निरंतर स्व-घोषणा सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये प्रस्तुतियाँ भी गलत हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि न तो 2013 और न ही 2018 के सर्वेक्षण 2013 के नियमों और 2013 के अधिनियम की योजना के तहत निर्धारित किए गए थे, क्योंकि सर्वेक्षण करने के लिए

सौंपे गए संस्थानों का गठन या तो नहीं किया गया था या वे काम नहीं कर रहे थे। अर्थात्, जहाँ अधिनियम और नियम सर्वेक्षण की एक विशेष विधि और तरीका निर्धारित करते हैं, वहाँ उस विधि और तरीके का केवल पालन किया जाना चाहिए था और किसी अन्य विधि या तरीके का पालन नहीं किया जा सकता था।

58. कानून का सिद्धांत कि "जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने की शक्ति दी जाती है, तो काम उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं और प्रदर्शन के अन्य तरीकों को अनिवार्य रूप से निषिद्ध किया जाता है" 40 इस प्रकार होगा।

2013 और 2018 के सर्वेक्षणों को 2013 अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं पर लागू नहीं करने के लिए आवेदन करें। वास्तव में, यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया था

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन परिषद बनाम भारत संघ 41 में कर्नाटक जहां

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि 2013 के अधिनियम और नियमों की कठोरता का पालन किए बिना सर्वेक्षण किया गया था, तो जहां तक अधिनियम और नियमों का संबंध है, यह एक वैध सर्वेक्षण नहीं होगा। यह देखा गया:

"30. अब, हम सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में हाथ से सफाई करने वालों के सर्वेक्षण और पहचान पर आते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट, जिसे वर्ष 2013 में लागू किया गया था, वस्तुतः यह स्वीकार करता है कि 21 वीं सदी में भी, हाथ से मलशोधन मौजूद है और वह शहरी क्षेत्रों में भी है।

40 यू. पी. राज्य बनाम सिंघारा सिंह, 1963 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 23:(1964) 4 पैरा 7 पर एस. सी. आर. 485। 41 (2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 2420)

1111

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1112

यह मानते हुए भी कि स्थानीय अधिकारियों ने धारा 11 के संदर्भ में सर्वेक्षण किया है, यह एक वैध सर्वेक्षण नहीं हो सकता है जब तक कि स्थानीय अधिकारियों ने मैनुअल स्कैवेंजर्स नियमों के नियम 11 के उप-नियमों (10) से (12) के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।...

33. ... राज्य सरकार को न्यायालय को यह भी सूचित करना होगा कि क्या जिलों के अनुसार सूची बनाई गई है और क्या समेकित राज्य सूची बनाई गई है।

तैयार किया गया। इसके अलावा, राज्य को यह दर्ज करना होगा कि क्या सभी जिलों में जिला स्तरीय सर्वेक्षण समितियों का गठन किया गया है और राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार को दोनों समितियों की बैठकों की संख्या का विवरण देना होगा।"

59. बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसा ही निर्देश दिया गया था।

विमला गोविंद चोरोटिया और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 42 में जहां यह

आयोजित किया गया था:

“31. ... (4) सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग में प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात् महाराष्ट्र राज्य अगली तारीख को न्यायालय को सूचित करेगा कि क्या शहरी क्षेत्रों में हाथ से मैला ढोने का सर्वेक्षण

2013 अधिनियम की धारा **11** और **12** की शर्तों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा उक्त **2013** अधिनियम की धारा **14** और **15** के तहत इसी तरह की कवायद की गई है या नहीं।”

60. यह अदालत नोटिस करती है कि धारा 11 (4) के तहत कोई अस्थायी सूची तैयार नहीं की गई थी; धारा 11 (5) के तहत कोई आपत्ति नहीं मांगी गई थी और कोई निर्णय नहीं लिया गया था और धारा 11 (6) के तहत कोई अंतिम सूची प्रकाशित नहीं की गई थी। निम्नलिखित के अभाव में, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि एक वैध सर्वेक्षण किया गया था। इस निष्कर्ष का एक और कारण यह है कि नियम 11 के तहत सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक संस्थान नहीं थे और 2013 और 2018 में प्रासंगिक समय पर काम नहीं कर रहे थे।

61. न्यायमित्र ने 2013 और 2018 के सर्वेक्षणों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से सामने लाया था, जो असंगत प्रतीत होते हैं

42 (2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 3002)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

और इसके चेहरे पर विरोधाभासी। इसके लिए, बहस के दौरान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत तालिका स्वयं प्रदर्शित करेगी कि 2013 और 2018 में एकत्र किए गए डेटा सुसंगत नहीं थे:

राज्य	2013 के सर्वेक्षण के अनुसार	2018 के सर्वेक्षण के अनुसार	जवाब के अनुसार डी. टी. 08.12.2021 राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न	उत्तर dt.24.07 के अनुसार। 2019 राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न	यूनियन ऑफ इंडिया के अफि डेविट डी. टी. 18.04.2023	एन. स का ए डेविट 01.0
उत्तर प्रदेश	12095	17828	32473	30375	32473	1
महाराष्ट्र	0	7298	6325	7378 (2013 के सर्वेक्षण में ऐसा नहीं किया गया)	0	7
उत्तराखंड	137	4787	4988	4924	0 शहरी क्षेत्रों में	6
राजस्थान	338	2590	2673	2928	एन ओ सी एल ई	2

					ए आर प्रतिक्रिया	
कर्नाटक	732	1754	2927	2486	7 4 9 3 2013 से 2020 तक आई डी एन टी आई एफ आई डी	1
आंध्र प्रदेश	78	1982	1793	2060	1 9 8 4 (किसी भी सर्वेक्षण वर्ष का उल्लेख नहीं)	1
बिहार	137	0	131	137	2018 में कोई हाथ से सफाई करने वाला नहीं था, भले ही 2797 हाथ से सफाई करने वाले पाए गए हों।	

62. यहाँ आंकड़ों पर कुछ टिप्पणियों की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि 2020 में कर्नाटक में एक आंशिक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 7493 हाथ से सफाई करने वालों की उपस्थिति का पता चला था। हालाँकि, 2013 के सर्वेक्षण में कहा गया है कि केवल 732 हाथ से सफाई करने वाले थे और 2018 के सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1754 हाथ से सफाई करने वाले थे। संख्या 1113 की घातीय वृद्धि

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1114 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

2013 से 2018 तक और फिर 2020 में हाथ से सफाई करने वालों की संख्या, 2013 और 2018 दोनों सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता को काफी कम कर देती है।

63. सर्वेक्षण के बारे में इस अदालत के संदेह का एक और कारण हाथ से सफाई करने वालों के सर्वेक्षण की तुलना अस्वच्छ शौचालयों पर सर्वेक्षण के साथ करना है। यह आंकड़ा इस अदालत के आदेशों के अनुसरण में छावनी बोर्डों द्वारा प्रदान किया गया था। छावनी बोर्डों ने कहा कि उन्होंने आगरा में 574, जबलपुर में 153 और जम्मू में 12 अस्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त कर दिया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई हाथ से सफाई करने वाले नहीं थे। अपने स्वभाव से, अस्वच्छ शौचालयों की सेवा हाथ से सफाई करने वालों द्वारा की जाती है। हाथ से सफाई करने वाले जो इन अस्वच्छ शौचालयों की सेवा कर रहे थे, वे 2013 और 2018 के सर्वेक्षणों से स्पष्ट रूप से चूक गए थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, नियम 11 (2) के साथ पठित धारा 11 के तहत सर्वेक्षण में प्रावधान है कि एस. एल. एस. सी. और डी. एल. एस. सी. सभी क्षेत्रों में पर्याप्त अभियान चलाएंगे।

विशेष रूप से ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ अस्वच्छ शौचालय पाए जाते हैं।

64. उपरोक्त आँकड़े दर्शाते हैं कि 2013 के सर्वेक्षण में चिन्हित हाथ से सफाई करने वालों की संख्या 2018 के सर्वेक्षण में चिन्हित हाथ से सफाई करने वालों की संख्या की तुलना में काफी कम थी। सरकार द्वारा राज्य सभा में अलग-अलग तिथियों पर और इस न्यायालय के समक्ष संघ के एफ़ी डेविट में भी अलग-अलग संख्याएँ बताई गई हैं। हाथ से मैला साफ करने वालों की संख्या के बारे में भी यह स्पष्ट और असंगत है। यह इस संदर्भ में है कि एन. सी. एस. के. द्वारा 2015-16 के बाद से लगभग हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में व्यक्त की गई पीड़ा को देखा जाना चाहिए। 2015-16 में, NCSK का रुख था।

“हाथ से सफाई करने वालों की पहचान और उनके बाद के पुनर्वास अधिनियम की आत्मा है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा बार-बार सफाई करने के बावजूद, हाथ से सफाई करने वालों के संबंध में निर्देश सही ढंग से सामने नहीं आ रहे हैं। यह देखा गया है कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा अलग-अलग नियमों का हवाला दिया जा रहा है।... आयोग ने सिफारिश की है कि देश में हाथ से सफाई करने वालों के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी की आवश्यकता है।”

2017-18 में, इसी तरह:

“हाथ से सफाई करने वालों की पहचान और उनके बाद के पुनर्वास अधिनियम की आत्मा है। हालांकि, बार-बार करने के बावजूद

भारत सरकार द्वारा हाथ से मैला ढोने वालों के संबंध में दिए गए निर्देश सही ढंग से सामने नहीं आ रहे हैं। यह देखा गया है कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा अलग-अलग नियमों का हवाला दिया जा रहा है।... आयोग ने सिफारिश की है कि देश में हाथ से सफाई करने वालों के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी की आवश्यकता है।

एन. सी. एस. के. ने 2018-19 में कहा:

“आज तक, देश में हाथ से मैला साफ करने के बारे में सरकार के पास कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है और विभिन्न स्थानों पर प्रमाण अलग-अलग हैं।” 43

इसी तरह, 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, NCSK ने कहा:

“हाथ से सफाई करने वालों की संख्या के संबंध में डेटा हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है और

उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। हाथ से सफाई करने वालों की पहचान के लिए राष्ट्रीय या सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सरकार अभी भी देश में पुरुष और महिला हाथ से सफाई करने वालों की संख्या के बारे में निश्चित नहीं है।”

65. वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद 05.07.2023 पर सी. एम. सी. की बैठक हुई। सी. एम. सी. में, नीति आयोग के उप सलाहकार ने एक बार फिर सर्वेक्षण की आवश्यकता

बताई, क्योंकि उनके अनुसार, कई हाथ से सफाई करने वालों को सर्वेक्षण से बाहर रखा गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सफाई कर्मचारी आंदोलन (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने 2013 के सर्वेक्षण की कमियों को देखा था और निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

“केंद्र सरकार ने 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के सर्वेक्षण' की घोषणा की। हालाँकि, सर्वेक्षण केवल 3546 वैधानिक शहरों तक सीमित था और इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं था। इस सीमित जनादेश के बावजूद, याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ जानकारी के अनुसार, सर्वेक्षण ने उल्लेखनीय रूप से बहुत कम प्रगति दिखाई है।” मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों के सर्वेक्षण की प्रगति रिपोर्ट” दिनांक 27.02.2014 में राज्य के रिकॉर्ड बताते हैं कि वे वास्तव में लोगों की संख्या के एक छोटे से अनुपात की पहचान करने में सक्षम हैं।

43 वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट -19.

1115

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1116 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

हाथ से मैला साफ करने में लगे हुए। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता, अपने सीमित संसाधनों के साथ, बिहार राज्य में हाथ से मैला साफ करने वाले 1098 व्यक्तियों की पहचान करने में कामयाब रहे हैं। 27.02.2014 की प्रगति रिपोर्ट में केवल 136 की पहचान करने का दावा किया गया है। राजस्थान राज्य में, याचिकाकर्ताओं ने 816 हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान की है, जबकि राज्य की प्रगति रिपोर्ट में केवल 46 की पहचान की गई है।

11. याचिकाकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि हाथ से मैला साफ करने की प्रथा बेरोकटोक जारी है। इस तथ्य के बावजूद कि 1993 का अधिनियम लगभग दो दशकों से लागू था, सूखे शौचालयों का अस्तित्व बना हुआ है। राज्यों ने 1993 के अधिनियम और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संवैधानिक जनादेश को अस्वीकार करते हुए कार्य किया है।

12. एक दशक से अधिक समय तक, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्देश जारी किए और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुपालन की मांग की। इस न्यायालय के प्रभावी हस्तक्षेप और निर्देशों के कारण, भारत सरकार ने इस बुराई को समाप्त करने और हाथ से सफाई करने वालों के कल्याण के लिए "हाथ से सफाई करने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" नामक एक अधिनियम लाया। अधिनियम को 18.09.2013 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। उपरोक्त अधिनियम का अधिनियमन, किसी भी तरह से, न तो अनुच्छेद 17 के संवैधानिक जनादेश को कमजोर करता है और न ही यह 1993 के अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों की निष्क्रियता को माफ करता है। इसके अलावा 2013 का अधिनियम सीवेज की सफाई और टैंकों की सफाई में लगे व्यक्तियों के साथ-साथ रेलवे पटरियों पर मानव मलमूत्र की सफाई करने वाले व्यक्तियों के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 के अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है।”

66. इसलिए, जब इस न्यायालय ने पहले ही पाया था कि सर्वेक्षण अनुचित था, तो संघ संभवतः एक बार फिर उसी सर्वेक्षण पर भरोसा नहीं कर सकता है।

III:संस्थाएं

67. 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन में एक बड़ी कमी यह है कि राज्य और केंद्र सरकारों ने उन संस्थानों का गठन भी नहीं किया है जो अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले संस्थानों की सूची इस प्रकार है:

एस. नहीं।	संस्थान	अनुभाग/नियम
1	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	धारा 3, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993; धारा 31, 2013 अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यों को देखते हुए।
2	सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोग	धारा 32, 2013 अधिनियम
3	केंद्रीय निगरानी समिति	धारा 29, निषेध अधिनियम, 2013
4	राज्य निगरानी समिति	धारा 26, निषेध अधिनियम, 2013
5	सतर्कता समितियाँ	धारा 24, निषेध अधिनियम, 2013
6	राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति	नियम 11, निषेध नियम, 2013
7	जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति	नियम 11, निषेध नियम, 2013

68. कानून का कार्यान्वयन उपरोक्त संस्थानों के प्रभावी कामकाज पर निर्भर करता है। दुर्भाग्य से, यह देखा गया है कि इन संस्थानों का गठन राज्यों और संघ द्वारा नहीं किया गया है और जहां उनका गठन किया गया है, वे संस्थान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। इस अधिनियम ने कानून के कार्यान्वयन पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों का निर्माण किया है। हालाँकि, कार्यान्वयन पर रोक लगाने के बजाय, संस्थानों की कमी ने प्रभावी रूप से अधिनियम के

कार्यान्वयन को पूरी तरह से स्थिर कर दिया है। कानून की यह व्यवस्थित उपेक्षा और कार्यपालिका द्वारा निष्क्रियता इसे एक मृत पत्र में बदल देगी। प्रत्येक संस्थान के बारे में अधिक विशिष्ट रूप से नीचे बताया गया है -

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

69. एन. सी. एस. के. एक सांविधिक आयोग है जिसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत, आयोग को केवल 1997 तक काम करना था। हालांकि, संशोधनों और कार्यकारी निर्देशों पर, आयोग 2013 तक कार्यात्मक रहा। इसके बाद 2013 के अधिनियम की धारा 31 ने एन. सी. एस. के. को कुछ शक्तियां और कार्य प्रदान किए जिन्हें उसके द्वारा पूरा किया जाना है। इसलिए, हालांकि एन. सी. एस. के. अधिनियम, 1993 एन. सी. एस. के. के लिए एक लंबी अवधि की परिकल्पना नहीं करता है, 2013 अधिनियम के आधार पर, एन. सी. एस. के. को कार्यात्मक रहना चाहिए। एन. सी. एस. के. महत्वपूर्ण 1117 का निर्वहन करता है।

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1118

कार्य: यह 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए है; अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करने के लिए; अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए; और अधिनियम के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मामले का स्वतः संज्ञान लेना। इसलिए एन. सी. एस. के. के काम न करने से अधिनियम का कार्यान्वयन बाधित हो जाएगा।

70. इसी दृष्टि से एन. सी. एस. के. की स्थिति को देखा जाना चाहिए। एन. सी. एस. के. का संचालन केवल एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा किया जाता है। यह भी एक तथ्य है कि आयोग वर्ष 2022-23 में भी काम नहीं कर रहा था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आयोग में सदस्यों की नियुक्ति में कार्यकारी निष्क्रियता के कारण आयोग में कर्मचारियों की कमी है।

सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोग

71. 2013 के अधिनियम के संदर्भ में, राज्य स्तर पर (धारा 31 द्वारा), सभी राज्यों को सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोगों का गठन करने का आदेश दिया गया है। राज्य आयोग के कार्य एन. सी. एस. के. के कार्यों के समान हैं। इसलिए राज्य आयोग राज्य स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बार-बार, एन. सी. एस. के. ने नोट किया था कि राज्य आयोगों का गठन नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, राष्ट्रीय आयोग ने बताया कि राज्य आयोगों की कमी के कारण व्यक्ति एन. सी. एस. के. से संपर्क कर रहे हैं। इसमें कहा गया है:

“आयोग समझता है कि सफाई कर्मचारियों के लिए अलग-अलग राज्य आयोग बहुत कम राज्यों में मौजूद हैं। अन्य राज्यों में राज्य स्तरीय आयोगों की अनुपस्थिति में, देश के दूर-दराज के कोनों से याचिकाकर्ता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के साथ अपनी शिकायतें उठाने के लिए मजबूर

हैं। यह याचिकाकर्ताओं के लिए असुविधाजनक होने के अलावा राष्ट्रीय आयोग पर भी बोझ बढ़ाता है। यदि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय सफाई कर्मचारी आयोग है, तो उस राज्य के याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इन राज्य स्तरीय आयोगों से संपर्क कर सकते हैं और राज्य स्तरीय आयोग, बदले में, इस मामले को अधिक प्रभावी तरीके से संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ उठा सकता है।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

72. अदालत को बताया गया कि इस मामले के लंबित रहने के दौरान, एन. सी. एस. के. और भारत संघ ने राज्य आयोगों के गठन की स्थिति के बारे में हलफनामा प्रस्तुत किया। न्यायमित्र इंगित करते हैं कि एफ़ी डेविट राज्य आयोगों के गठन के लिए आंकड़ों में स्पष्ट विसंगतियों को प्रकट करते हैं। विसंगतियों के कारण सटीक आंकड़ों की कमी का मतलब है कि इन आयोगों के गठन के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। फिर भी, संघ और न्यायमित्र द्वारा इस न्यायालय को प्रदान की गई तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि बहुत कम राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए समर्पित आयोग हैं। वास्तव में, भारत संघ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जिन आयोगों का गठन किया गया है, वे न तो काम कर रहे हैं और न ही नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं। 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से भी संस्थागत समर्थन की कमी है।

केंद्रीय निगरानी समिति

73. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 2013 अधिनियम की धारा 29 के तहत गठित सी. एम. सी. है। इस समिति में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, एन. सी. एस. के. के अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित योजना आयोग के सदस्य, अनुसूचित जाति समुदायों के 3 सांसद, 7 मंत्रालयों के सचिव आदि सहित विभिन्न पदेन सदस्य होंगे। धारा 30 के तहत अनिवार्य इस समिति के कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार की निगरानी और सलाह देने और सभी संबंधित एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए है। 2013 का अधिनियम समिति को देखने का भी अधिकार देता है।

कार्यान्वयन से आनुषंगिक या संबंधित किसी अन्य मामले में

अधिनियम से। समिति की व्यापक और व्यापक शक्तियाँ इसके महत्व को प्रदर्शित करती हैं।

74. अफसोस की बात है कि हालांकि समिति को वैधानिक रूप से धारा 29 (3) के तहत छह महीने में एक बार बैठक करने के लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन यह देखा गया है कि समिति की बैठक तीन साल के अंतराल के बाद 05.07.2023 पर इस न्यायालय के 02.05.2023 पर निर्देश के बाद हुई। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्पष्टता के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है:

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1120 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

“हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी राय है कि विद्वान ए. एस. जी. को केंद्रीय निगरानी समिति के संचालन के लिए एक व्यावहारिक विधि का संकेत देना चाहिए। उस समिति में 20 से अधिक सदस्य होते हैं और जाहिर तौर पर पिछले तीन वर्षों से इसकी बैठक नहीं हुई है। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि पिछले दस वर्षों में समिति की सात बार बैठक हुई है।

...

इस न्यायालय की राय है कि ए. एस. जी. को सर्वेक्षण, पहचान और अधिनियम के पूर्ण संचालन के लिए अधिनियम द्वारा बनाई गई राज्य समितियों और अन्य एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यावहारिक पद्धति के संबंध में निर्देश प्राप्त करने चाहिए। ए. एस. जी. इस उद्देश्य के लिए समय सीमा भी इंगित कर सकता है।”

सी. एम. सी. एक केंद्रीय सरकारी प्राधिकरण होने के नाते जो 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करता है, उसे सक्रिय होना चाहिए। विधिवत अधिनियमित 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन और समाज के एक दलित वर्ग को सशक्त बनाने को अवास्तविक नहीं छोड़ा जा सकता है, और विशेष रूप से कार्यकारी निष्क्रियता के कारण नहीं।

राज्य निगरानी समितियाँ

75. सी. एम. सी. की तरह राज्य निगरानी समितियों में 2013 के अधिनियम की धारा 26 द्वारा अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण के प्रभारी मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि और सफाई कर्मचारी आदि जैसे कई पूर्व अधिकारी सदस्य होते हैं। इसी तरह, राज्य निगरानी समिति के कार्य भी धारा 27 के तहत व्यापक हैं। हालाँकि, इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि राज्य निगरानी समितियाँ निष्क्रिय हैं जो 2013 अधिनियम की धारा 26 के तहत वैधानिक जनादेश का सीधा उल्लंघन है। 44.

76. संघ द्वारा संकलित और न्यायमित्र द्वारा सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़े इस बात का प्रमाण देते हैं कि समितियाँ या तो मौजूद नहीं हैं या हाल के दिनों में उनकी बैठक नहीं हुई है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि समितियों का गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे काम कर रही हैं, किसी भी स्तर पर कदम उठाए गए हैं।

44 आसान संदर्भ के लिए निकाली गई तालिका देखें

राज्य	एन. सी. एस. के. रिपोर्ट <आई. डी1>	यूनियन का एफ़ी डेविट dt.18.04।	एन. सी. एस. के. का एफ़ी दावित (पी.	भारत संघ का एफ़ी डेविट dt.05.07।
-------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

	(पी. 90,Vol.2)	2023 (Vol.3)	44Vol.4)	2023 (Vol.7)
असम	एसएमसी के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं	गठित (पी। 180Vol.3)	एसएमसी के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं	डीसी: 08.08.2018 एल. डी. एम.: 18.07.2019 (पी। 18ofVol.7)
मणिपुर	एसएमसी के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं	राज्य निर्णय ले सकता है (पृ. 499 Vol.3)	एसएमसी के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं	-
मेघालय	एसएमसी के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं	गठित (पी। 503 खंड का। 3)	एसएमसी के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं	-
नगालैंड	एसएमसी के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं	प्रक्रिया में (पी। 522 खंड का। 3)	गठित किया गया	-
चंडीगढ़	गठित किया गया	केवल यह बताता है कि यह समाज कल्याण विभाग से संबंधित है (पी। 846 खंड का। 3)	गठित किया गया	संविधान के लिए कार्रवाई के तहत (पी। 28 Vol.7)
दमन और दीव	एसएमसी के गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं	24.11.2022 पर गठित	गठित किया गया	डीसी: 24.11.2022 एल. डी. एम.: नहीं दिया गया (पी। 31 Vol.7)

1121

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1122

दिल्ली	गठित किया गया	कोई प्रतिक्रिया नहीं	गठित किया गया	-
लद्दाख		जी. ओ. दिनांक 03.02.2022 (पी. 899 खंड का। 3)	कोई जानकारी नहीं दी गई	-
लक्षद्वीप	गठित किया गया	आवश्यक नहीं (पी। 920 Vol.3)	गठित किया गया	-
पुडुचेरी	एसएमसी के गठन के बारे में कोई	कोई प्रतिक्रिया नहीं	एसएमसी के गठन के बारे में कोई	डीसी: 16.06.2013

	जानकारी नहीं		जानकारी नहीं	एल. डी. एम.: नहीं दिया गया (पी। 92 Vol.7)
--	--------------	--	--------------	---

सतर्कता समितियाँ

77. सतर्कता समितियाँ दो प्रकार की होती हैं: जिला और उप-मंडल। डी. वी. सी. 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत अनिवार्य हैं और इसमें जिला मजिस्ट्रेट, जिले से अनुसूचित जाति के विधायक, पुलिस अधीक्षक आदि शामिल हैं। इसी तरह, उप-मंडल सतर्कता समितियों का गठन धारा 24 (3) के तहत किया जाता है और इसमें उप-मंडल मजिस्ट्रेट, पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनुसूचित जाति कल्याण के प्रभारी उप-मंडल स्तर के अधिकारी आदि शामिल होते हैं। समितियों को धारा 24 (4) के तहत तीन महीने में एक बार बैठक करने के लिए अनिवार्य किया गया है। धारा 25 के तहत इन समितियों के कार्य आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की देखरेख करना, हाथ से मैला साफ करने वालों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त श्रेय देने के लिए सभी एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना और 2013 के अधिनियम के तहत सफाई कर्मचारियों के पंजीकरण और उनकी जांच और अभियोजन की निगरानी करना है।

78. भले ही इन बुनियादी संस्थानों को अधिनियम के तहत विशिष्ट कार्यों के साथ सशक्त किया गया था, लेकिन कई राज्यों ने समितियों का गठन भी नहीं किया है और जहां समितियों का गठन किया गया है, वे हैं -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

कार्यात्मक नहीं। न्यायमित्र ने सतर्कता समितियों के लिए स्थिति प्रस्तुत करते हुए इस न्यायालय को एक तालिका प्रस्तुत की। यह तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सतर्कता समितियाँ कार्य नहीं कर रही हैं। इस स्थिति का उल्लंघन करने के लिए संघ से कोई और डेटा सामने नहीं आ रहा है।

राज्य	संविधान की तिथि और बैठक की अंतिम तिथि	राज्य	संविधान की तिथि और बैठक की अंतिम तिथि
अंडमान और निकोबार	डीसी: 04.01.2019 एल. डी. एम.: नहीं दिया गया।	पुडुचेरी	डीसी: 16.06.2023 एल. डी. एम.: नहीं दिया गया।
असम	डीसी: 08.05.2014 एल. डी. एम.: नहीं	पंजाब	डीसी: 2014 और 2019 के बीच अलग-अलग जिलों

	दिया गया।		के लिए अलग-अलग तिथियाँ। एल. डी. एम.: 2018 और 2023 के बीच अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग तिथियाँ।
चंडीगढ़	संविधान के लिए कार्रवाई के तहत	राजस्थान	डीसी: 13.05.2016 एल. डी. एम.: कोई विशिष्ट सी तिथि नहीं
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	डीसी: 20.09.2022 एल. डी. एम.: नहीं दिया गया।	सिक्किम	डीसी: 27.11.2014 एल. डी. एम.: 2023 में अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग तिथियाँ।
गोवा	डीसी: एल. डी. एम नहीं दिया गया: 06.12.2018	त्रिपुरा	डीसी: 01.03.2019 एल. डी. एम.: राज्य के रूप में नहीं दिया गया है फ्री ऑफ एमएस
कर्नाटक	डीसी: 2014 और 2018 के बीच अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग तिथियाँ।	पश्चिम बंगाल	डीसी: 26.02.2014 एल. डी. एम.: 27.02.2023
	एल. डी. एम.: 2021 और 2023 के बीच अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग तिथियाँ।		

1123

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1124

सर्वेक्षण समितियाँ

79. राज्य और जिला स्तर पर नियम 11 के तहत सर्वेक्षण समितियों का गठन किया जाना है। समितियों का कार्य सर्वेक्षण प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर संबंधित जिले/राज्य में सूची के प्रकाशन

तक की देखरेख करना है। इस न्यायालय को दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत संघ के अनुसार राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन केवल राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसके अलावा, जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन केवल ओडिशा द्वारा किया गया है। जाहिर है, अधिनियम के तहत एक सर्वेक्षण इन समितियों के गठन के बिना नहीं हो सकता है।

IV. खतरनाक सफाई

80. 2013 के अधिनियम के तहत हाथ से मैला साफ करने और खतरनाक सफाई का अलग से इलाज किया जाता है। एक 'मैनुअल स्कैवेंजर' को धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित किया गया है:

“(छ) एक व्यक्ति या एक स्थानीय प्राधिकरण या एक एजेंसी या एक ठेकेदार द्वारा एक अस्वच्छ शौचालय में या एक खुले नाले या गड्ढे में, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल का निपटान किया जाता है, या एक रेलवे ट्रैक पर या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरह से संभालने के लिए नियोजित या नियोजित व्यक्ति, इससे पहले कि मल पूरी तरह से विघटित हो जाए, जो निर्धारित किया जा सके।

81. इसलिए, 2013 के अधिनियम के तहत एक हाथ से सफाई करने वाले को अस्वच्छ शौचालय या इसी तरह के स्थान से मानव मलमूत्र की सफाई के संबंध में नियोजित किया जाता है। दूसरी ओर, 'खतरनाक सफाई' को धारा 2 (डी) के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“(घ) सीवर या सेप्टिक टैंक के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा "खतरनाक सफाई" का अर्थ है ऐसे कर्मचारी द्वारा सुरक्षा उपकरण और अन्य सफाई उपकरण प्रदान करने के अपने दायित्वों को पूरा किए बिना हाथ से सफाई करना और सुरक्षा सावधानियों का पालन सुनिश्चित करना, जैसा कि किसी अन्य कानून में निर्धारित या प्रदान किया जा सकता है, जो अभी लागू है या उसके तहत बनाए गए नियम हैं।

45 भारत संघ का एफ़ी डेविट दिनांक 5.7.2023।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

‘सेप्टिक टैंक ‘और’ सीवर ‘को क्रमशः धारा 2 (पी) और 2 (क्यू) के तहत परिभाषित किया गया है:

“(पी) "सेप्टिक टैंक" का अर्थ है एक जल-तंग निपटान टैंक या कक्ष, जो आम तौर पर भूमिगत स्थित होता है, जिसका उपयोग मानव मलमूत्र को प्राप्त करने और पकड़ने के लिए किया जाता है, जिससे यह जीवाणु गतिविधि के माध्यम से विघटित हो जाता है; "(क्यू)" सीवर "का अर्थ है अन्य अपशिष्ट पदार्थों और जल निकासी कचरे के अलावा मानव मलमूत्र को ले जाने के लिए एक भूमिगत नाली या पाइप;

82. परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि खतरनाक सफाई के लिए नियोजित व्यक्ति का सीवर या सेप्टिक टैंक से संबंध है। सीवर और सेप्टिक टैंक की अवहेलना से पता चलता है कि वे मानव मलमूत्र और अन्य कचरे से संबंधित हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरण प्रदान किए जाते हैं तो खतरनाक सफाई की अनुमति है। ये 2013 के नियमों के तहत निर्धारित किए गए हैं। भले ही एक खतरनाक सफाई करने वाला और एक हाथ से सफाई करने वाला दोनों मानव मलमूत्र के साथ काम करते हैं, कानून केवल खतरनाक सफाई को दंडित करता है और खतरनाक सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए बाद के कदमों का प्रावधान नहीं करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री जयना कोठारी ने आग्रह किया कि हाथ से मैला साफ करने और खतरनाक सफाई के बीच उपचार में अंतर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि दोनों के बीच कोई तर्कसंगत अंतर नहीं है। हालाँकि, इस अदालत को इस मामले में कानून को चुनौती नहीं दी गई है। प्रावधानों को चुनौती दिए बिना, भेदभाव को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है।

मशीनीकरण

83. जबकि वैधानिक योजना में खतरनाक श्रमिकों, विशेष रूप से सीवर में काम करने वालों के पुनर्वास का प्रावधान नहीं है, 2013 के अधिनियम के संवैधानिक आधार और अस्पृश्यता का निषेध उनके लाभ के लिए होना चाहिए। हाथ से मैला साफ करने की तरह खतरनाक सफाई भी अस्पृश्यता की अभिव्यक्ति है और संविधान के अनुच्छेद 17 को अपनाकर इसे समाप्त कर दिया गया है। यह नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 के माध्यम से भी स्पष्ट है जो अस्पृश्यता के एक उदाहरण के रूप में धारा 7 ए के तहत सफाई को विशेष रूप से प्रतिबंधित करता है।

84. इसके लिए, 2013 के अधिनियम और नियमों में 'सफाई उपकरणों' और 'सुरक्षात्मक उपकरणों' के माध्यम से खतरनाक सफाई के मशीनीकरण का प्रावधान है। नियम 1125

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। 1126 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

3 2013 के नियमों के अनुसार "किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।

सीवर को सुरक्षात्मक उपकरण और सुरक्षा उपकरणों से हाथ से साफ करें।

इन नियमों को छोड़कर। "नियम के तहत अपवादों की जांच से पता चलता है कि परिस्थितियाँ केवल तभी होती हैं जब यांत्रिक उपकरणों को चालू नहीं किया जा सकता है या जब सीवर अभी तक चालू नहीं होता है। अन्य परिस्थितियों में, स्थानीय प्राधिकरण के सी. ई. ओ. की विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता होती है जहां वह

कारण कि सीवेज की सफाई हाथ से करना बिल्कुल आवश्यक है

उचित कारणों से लिखना। 85. विशेष रूप से, नियम 3 (2) यह सुनिश्चित करता है कि पनडुब्बी पंपों को हटाने और मैनहोल के पुनर्निर्माण की असाधारण स्थितियों में भी, सीवेज को पूरी तरह से खाली किया जाना चाहिए। नियम 4 के तहत सुरक्षात्मक उपकरणों और नियम 5 में सफाई उपकरणों की

एक विस्तृत सूची खतरनाक सफाई के लिए आवश्यक मशीनीकरण की सीमा को इंगित करती है। नियम 6,7 और 8 के तहत आगे के सुरक्षा उपायों से यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सीवर या सेप्टिक टैंक में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

86. 2013 के अधिनियम और नियमों का स्पष्ट उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का मशीनीकरण सुनिश्चित करना है। दूसरे शब्दों में, 2013 के अधिनियम और नियमों का उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को मानव मलमूत्र के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। नियमों के तहत निर्धारित किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरण भी इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होंगे। कहने का मतलब है, निर्धारित करने वाले प्राधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक खतरनाक क्लीनर को दिए गए सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि वह मानव मलमूत्र के संपर्क में न आए।

87. संघ द्वारा अपने संबद्ध दस्तावेजों में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सीवर लाइनों या सेप्टिक टैंकों को साफ करने के लिए मशीनीकरण की कमी नहीं है। न्यायमित्र द्वारा उठाए गए कुछ उदाहरण आंध्र प्रदेश में चित्तूर, ओंगोले, मंगलगिरी-तादेपल्ली, केरल में कोल्लम, सिक्किम में गंगटोक, तमिलनाडु में नागरकोइल से संबंधित हैं, जिनमें कोई मशीन नहीं है और पूरी तरह से सफाई खतरनाक सफाई करने वालों द्वारा की जा रही है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसी स्थिति वैधानिक के साथ-साथ संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। सीवरों और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सफाई उपकरणों के साथ-साथ सुरक्षात्मक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

अनुच्छेद 23 के तहत खतरनाक सफाई की स्थिति

88. संविधान का अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और इसे कानून के अनुसार दंडनीय बनाता है। अनुच्छेद 23 में 'जबरन श्रम के अन्य रूप' अभिव्यक्ति सभी प्रकार के श्रम पर प्रहार करती है जो मानव गरिमा को समाप्त करती है। इसमें न केवल पारिश्रमिक शामिल होगा बल्कि उन सभी श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा जो सुरक्षित रोजगार के पूर्ण न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

89. दोहराव के महत्व को देखते हुए, यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि जबरन श्रम के अर्थ पर चर्चा की गई थी

इस न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (ऊपर) में जहां यह

न्यायालय ने शब्दों के दायरे का विस्तार किया था और अपनी व्यापक स्थितियों के भीतर शामिल किया था जहां न्यूनतम मजदूरी मानकों का पालन नहीं करने से बुनियादी गरिमा का उल्लंघन होता है। अदालत ने कहा कि जहां न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, वह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है और जबरन श्रम का एक उदाहरण है। 90. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जा सकता है कि जहां खतरनाक श्रमिकों को न्यूनतम सुरक्षा उपकरण और सफाई उपकरण

प्रदान नहीं किए जाते हैं, खतरनाक श्रमिकों का रोजगार जबरन श्रम के बराबर है और इस प्रकार संविधान के तहत निषिद्ध है। यह महत्व प्राप्त करता है क्योंकि सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरणों के प्रावधान केवल वैधानिक अधिकार या नियम नहीं हैं, बल्कि अधिकार हैं और इन अधिकारों के कारण ही 2013 के अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुरूप हैं।⁹¹ इस सिद्धांत का एक अन्य परिणाम यह है कि किसी भी ठेकेदार या प्राधिकरण का बचाव कि एक खतरनाक कर्मचारी ने बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण या सफाई उपकरणों के स्वेच्छा से सीवर या सेप्टिक टैंक में प्रवेश किया था, संवैधानिक जांच में नहीं रहेगा। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में कथित सहमति अप्रासंगिक होने के कारणों को समझाया:

“13. ... इसलिए यह स्पष्ट है कि भले ही किसी व्यक्ति ने सेवा करने के लिए दूसरे के साथ अनुबंध किया हो और ऋण के परिसमापन या पारिश्रमिक के रूप में ऐसी सेवा के लिए विचार किया जाता है, उसे कानून की मजबूरी या अन्यथा ऐसी सेवा जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अनुच्छेद 23 के निषेध के भीतर जबरन श्रम होगा। यह अनुच्छेद हर प्रकार के जबरन श्रम पर प्रहार करता है, भले ही इसका मूल स्वेच्छा से 1127 में किए गए अनुबंध में हो।

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1128

श्रम या सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा (पोलक बनाम विलियम्स [322 यू. एस. 4:88 एल एड 1095])। इसका कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता है तो उसे दूसरे को श्रम या सेवा प्रदान करने के लिए मजबूर करना मानव गरिमा के खिलाफ है, भले ही यह उसके द्वारा किए गए अनुबंध का उल्लंघन हो। कोई दासता नहीं होनी चाहिए या

एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में अनैच्छिक दासता जो व्यक्ति की गरिमा और मानव व्यक्ति के मूल्य का सम्मान करती है। इसके अलावा, भारत जैसे देश में जहां इतनी गरीबी और बेरोजगारी है और सौदेबाजी की शक्ति में कोई समानता नहीं है, वहां सेवा अनुबंध स्वैच्छिक रूप से दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में यह अनैच्छिक हो सकता है, क्योंकि अनुबंध में प्रवेश करते समय, कर्मचारी को अपनी आर्थिक रूप से असहाय स्थिति के कारण, होब्सन की पसंद का सामना करना पड़ा होगा, या तो भुखमरी या शक्तिशाली नियोक्ता द्वारा निर्धारित शोषणकारी शर्तों के अधीन होना। ऐसे मामले में कर्मचारी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार पकड़ना और उसे नियोक्ता की सेवा करने के लिए मजबूर करना न्याय का उपहास होगा, भले ही वह ऐसा नहीं करना चाहता हो। यह उस असमानता और अन्याय को बढ़ाएगा जिससे कर्मचारी अपनी आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण भी अपना अधिकार खो देगा और आर्थिक रूप से शक्तिशाली नियोक्ता द्वारा गरीब असहाय कर्मचारी के शोषण को कानून का अधिकार देगा। इसलिए अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम या सेवा प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, भले ही वह सेवा अनुबंध के तहत हो।”

सुरक्षात्मक उपकरण और सफाई उपकरणों के बिना एक खतरनाक क्लीनर के रोजगार के लिए एक अनुबंध, इसी तरह, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करेगा, भले ही वह स्वैच्छिक हो क्योंकि ऐसा समझौता मानव गरिमा का उल्लंघन करेगा।

खतरनाक श्रमिकों का पुनर्वास

92. कानून की मुक्त प्रकृति के साथ-साथ अनुच्छेद 17 और 23 के उद्देश्य के लिए उन व्यक्तियों के परिवारों को अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है जो सीवर या सेप्टिक टैंकों में काम करते हुए मारे गए थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पूरा परिवार बिना रोटी कमाने वाले के रह जाएगा। पहले से ही दलित और उत्पीड़ित परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और कम हो जाएगी। अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की गरिमा को पुनर्वास प्रक्रियाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

93. अदालत ऐसी स्थिति से अंधी नहीं हो सकती। वास्तव में, यह इस उद्देश्य के अनुसरण में है कि सफाई कर्मचारी (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की, जहां एक व्यक्ति की सीवर में मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने कहा:

“ 23.2. यदि हाथ से सफाई करने की प्रथा को समाप्त करना है और आने वाली पीढ़ियों को हाथ से सफाई करने की अमानवीय प्रथा से रोकना है, तो हाथ से सफाई करने वालों का पुनर्वास करना होगा।

इसमें शामिल होने की आवश्यकता होगी: (क) सीवर से मृत्यु-आपातकालीन स्थितियों में भी बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर लाइनों में प्रवेश करना अपराध बनाया जाना चाहिए। ऐसी प्रत्येक मृत्यु के लिए मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

23.3.1993 से सीवर रेज के काम (मैनहोल, सेप्टिक टैंक) में मरने वाले सभी व्यक्तियों के परिवारों की पहचान करें और उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को ऐसी प्रत्येक मौत के लिए **10** लाख रुपये का मुआवजा दें।

23.4 पुनर्वास न्याय और परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।”

94. लेकिन, परिवार के उत्थान के लिए केवल आर्थिक उपाय ही पर्याप्त नहीं होंगे। पुनर्वास के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक सामाजिक-आर्थिक उपायों जैसे छात्रवृत्ति आदि की आवश्यकता होगी। इसके लिए, यह न्यायालय यह आदेश देता है कि ऐसे अधिकार जो हाथ से सफाई करने वालों को दिए जाने के समान हैं, उन खतरनाक श्रमिकों के परिवारों को दिए जाने चाहिए जिनकी सीवर और सेप्टिक टैंकों में मृत्यु हो गई थी।

95. खतरनाक श्रमिकों के परिवारों के अलावा, ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए जो बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण या सफाई उपकरणों के खतरनाक श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियां बनानी चाहिए कि सभी खतरनाक श्रमिकों को पुनर्वास संबंधी अधिकार दिए जाएं।

दिशा-निर्देश

96. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: (1) संघ को 1129 के तहत निगमों, रेलवे, छावनी के साथ-साथ एजेंसियों सहित सभी वैधानिक निकायों को उचित उपाय करने चाहिए और नीतियां बनानी चाहिए और निर्देश जारी करने चाहिए।

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1130

इसका नियंत्रण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हाथ से सीवर की सफाई चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और ऐसे दिशानिर्देश और निर्देश भी जारी करता है जो आवश्यक हैं, कि किसी भी सीवर की सफाई का काम ठेकेदारों या एजेंसियों द्वारा या उनके माध्यम से आउटसोर्स किया जाता है, या निर्वहन की आवश्यकता होती है, किसी भी उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को सीवर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है;

(2) इसी तरह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी विभाग, एजेंसियां, निगम और अन्य एजेंसियां (चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए) यह सुनिश्चित करें कि संघ द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश और निर्देश उनके अपने दिशानिर्देशों और निर्देशों में सन्निहित हैं; राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि ऐसे निर्देश सभी नगर पालिकाओं और अपने क्षेत्रों में काम करने वाले स्थानीय निकायों पर लागू हों।

(3) केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सीवेज श्रमिकों और मरने वालों के संबंध में पूर्ण पुनर्वास (रिश्तेदारों को रोजगार, बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण सहित) उपाय किए जाएं।

(4) न्यायालय एतद्द्वारा केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि सीवर से होने वाली मौतों के लिए मुआवजे में वृद्धि की जाए (यह देखते हुए कि पिछली राशि यानी 10 लाख रुपये) 1993 से लागू की गई थी। उस राशि का वर्तमान समतुल्य रु। 30 लाख। यह वह राशि होगी जिसका भुगतान संबंधित एजेंसी यानी संघ, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाना है। दूसरे शब्दों में, सीवर से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा ₹30 लाख होगा। यदि किसी पीड़ित के आश्रितों को ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उपरोक्त राशि उन्हें देय होगी। इसके अलावा, यह मुआवजे के रूप में बाद में भुगतान की जाने वाली राशि होगी।

(5) इसी तरह, सीवर पीड़ितों के मामले में, विकलांगों की गंभीरता के आधार पर, मुआवजे का वितरण किया जाएगा। हालांकि, न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा। यदि अक्षमता

स्थायी है, और पीड़ित को आर्थिक रूप से असहाय बनाता है, तो मुआवजा ₹20 लाख से कम नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

(6) उपयुक्त सरकार (अर्थात्, केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करेगी, विशेष रूप से जहां अनुबंध या "आउटसोर्स" कार्य के दौरान सीवर से होने वाली मौतें होती हैं। यह जवाबदेही अनुबंध को तुरंत रद्द करने और मौद्रिक दायित्व लागू करने के रूप में होगी, जिसका उद्देश्य इस प्रथा को रोकना होगा। (7) संघ एक मॉडल अनुबंध तैयार करेगा, जिसका उपयोग संबंधित अधिनियम में जहां भी अनुबंध दिए जाने हैं, उसके या उसकी एजेंसियों और निगमों द्वारा किया जाएगा, जैसे कि अनुबंध श्रम (निषेध और विनियमन अधिनियम), 1970, या कोई अन्य कानून, जो 2013 के अधिनियम और नियमों के अनुरूप मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य करता है, और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, एजेंसी अपना अनुबंध खो देगी, और संभवतः काली सूची में डाल दी जाएगी। इस मॉडल का उपयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी किया जाएगा। (8) एन. सी. एस. के., एन. सी. एस. सी., एन. सी. एस. टी. और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आज से 3 महीने के भीतर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के संचालन के लिए रूप-रेखा तैयार करेंगे। सर्वेक्षण आदर्श रूप से आयोजित किया जाएगा और अगले एक वर्ष में पूरा किया जाएगा।

(9) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण पिछली समितियों के समान पर्याप्त न हो, सभी संबंधित समितियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार किए जाएंगे।

(10) केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति स्थापित करने की आवश्यकता है कि सीवर पीड़ितों के आश्रितों (जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो विकलांग हो सकते हैं) को सार्थक शिक्षा दी जाए।

(11) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) भी उपरोक्त नीतियों को तैयार करने की दिशा में परामर्श का हिस्सा होगा। यह सर्वेक्षण की योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला कानूनी सेवा समितियों के साथ समन्वय में भी शामिल होगा। इसके अलावा, एन. ए. एल. एस. ए. मुआवजे के आसान वितरण के लिए उपयुक्त मॉडल (अपराध के पीड़ितों को मुआवजे के वितरण के लिए अन्य मॉडलों के संबंध में अपने अनुभव के आलोक में) तैयार करेगा।

1131

डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत और हमारा संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 1132

(12) संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समयबद्ध तरीके से राज्य स्तर, जिला स्तर की समितियों और आयोगों की स्थापना के लिए सभी आयोगों (एन. सी. एस. के., एन. सी. एस. सी.,

एन. सी. एस. टी.) के साथ समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा, रिक्तियों के अस्तित्व और उनकी नियुक्ति की निरंतर निगरानी की जाएगी।

(13) एन. सी. एस. के., एन. सी. एस. सी., एन. सी. एस. टी. और केंद्र सरकार को 2013 के अधिनियम के तहत जिला और राज्य स्तर की एजेंसियों द्वारा जानकारी और उपयोग के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा मॉड्यूल तैयार करने और समन्वय करने की आवश्यकता है।

(14) एक पोर्टल और एक डैशबोर्ड, जिसमें सीवर से होने वाली मौतों और पीड़ितों से संबंधित जानकारी और मुआवजे के वितरण की स्थिति के साथ-साथ किए गए पुनर्वास उपायों और मौजूदा और उपलब्ध पुनर्वास नीतियों सहित सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी, को जल्द से जल्द विकसित और शुरू किया जाएगा।

निष्कर्ष

“हमारे लिए लड़ाई धन या सत्ता के लिए नहीं है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई है। यह मानव व्यक्तित्व के सुधार की लड़ाई है।” 46 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

97. यदि हमें वास्तव में समान होना है, तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 15 (2), 17, 23 और 24 जैसे मुक्ति के प्रावधानों को जोड़कर समाज के सभी वर्गों के लिए जो प्रतिबद्धता दी है, हम में से प्रत्येक को अपने वादे को पूरा करना होगा। केंद्र और राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि हाथ से मैला साफ करने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हम में से प्रत्येक अपनी आबादी के इस बड़े हिस्से के लिए ऋणी है, जो अदृश्य, अनसुने और मौन, बंधन में, व्यवस्थित रूप से अमानवीय परिस्थितियों में फंस गए हैं। संविधान और 2013 के अधिनियम के प्रावधानों में स्पष्ट निषेधों के माध्यम से संघ और राज्यों को अधिकार प्रदान करने और दायित्वों को निर्धारित करने का अर्थ है कि वे उन्हें वास्तविक अर्थ देने और प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने के लिए बाध्य हैं। हम सभी नागरिकों पर झूठ बोलना, सच्ची बंधुत्व को महसूस करने का कर्तव्य है, जो

46 जुलाई 1942 में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में संबोधन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

इन आदेशों की जड़ में है। बिना किसी कारण के हमारा संविधान गरिमा और बंधुत्व के मूल्य पर बहुत जोर नहीं देता है, क्योंकि इन दोनों के बिना अन्य सभी स्वतंत्रताएँ चिमेरा हैं, जो अवास्तविकता का वादा है। यह हम सभी हैं जो आज गर्व से अपने गणराज्य की उपलब्धियों का आनंद लेते हैं, जिन्हें जागना और उठना पड़ता है, ताकि हमारे लोगों की पीड़ियों के भाग्य का अंधेरा दूर हो, और वे उन सभी स्वतंत्रताओं और न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आनंद लें जिन्हें हम हल्के में लेते हैं।

98. अंत में, यह न्यायालय न्यायमित्र श्री के. परमेश्वर के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान और प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता है। मामले को 01.02.2024 पर सूचीबद्ध करें।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

निर्देश जारी किए गए।

दिव्या पांडे